संख्याः 1263/62-2-06-2/2(42)98

प्रेषक,

अनीस अंसारी,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **मुख्य अभियन्ता,**
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2. **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

3. **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं ग्रा0अभि0सेवा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 31 मई, 2006

विषयः- जिला योजना के अन्तर्गत लघु/सीमान्त श्रेणी के सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु निःशुल्क बोरिंग योजना का कियान्वयन।

महोदय,

प्रदेश में निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों के कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु निःशुल्क बोरिंग योजना फरवरी 1985 से चलायी जा रही है। वर्तमान में यह योजना जिला सेक्टर के अन्तर्गत कियान्वित है। अभी तक योजना के कियान्वयन हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु स्ट्रेटजी निर्गत किये जाने की व्यवस्था थी किन्तु विगत वर्षो में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष भौतिक वार्षिक/मासिक कार्ययोजना निर्गत किये जाने की व्यवस्था हो जाने के कारण अब प्रत्येक वर्ष पृथक से निःशुल्क बोरिंग योजना की स्ट्रेटजी निर्गत किये जाने की आवश्यकता नही रह गयी है। अतः निःशुल्क बोरिंग योजना के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों को समावेश करते हुए इसके कियान्वयन हेतु निम्न निदेश निर्गत किये जा रहे है।

1- **योजना का स्वरूप :-**

योजना के अन्तर्गत सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु/सीमान्त लाभार्थियों को निजी लघु सिंचाई साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निम्न प्रतिबन्धों के साथ बोरिंग निर्मित कराकर उपलब्ध करायी जायेगी।

(अ) शासनादेश संख्याः 2486/62-2-2004-2/2(6)/2004 दिनांक 30 जुलाई, 2004 **(संलग्न क्रमांक-1)** द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुसार 0.2 हेक्टर से कम जोत वाले सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषको की व्यक्तिगत बोरिंग निर्मित नही की जायेगी, व्यक्तिगत बोरिंग उन्हीं सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों की, की जायेगी जिनकी न्यूनतम जोत सीमा 0.2 हे0 है, अन्यथा स्थिति में कृषकों का समूह बनाकर उन्हें लाभान्वित किया जायेगा।

(ब) शासनादेश संख्या 1067/62-2-2003-2/2(6)/2000 दिनांक 13 मार्च, 2003 **(संलग्न क्रमांक-2)** में दिये गये निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जाति/ जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों के मामले में न्यूनतम जोत सीमा का प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

(स) शासनादेश संख्याः 1067/62-2-2003-2/2(6)/2000 दिनांक 13 मार्च,2003 एवं 3195/62-2-2005-2/2(6)/2004 दिनांक 30 दिसम्बर, 2005 **(संलग्न क्रमांक-3)** में दिये गये निर्देशों के अनुसार सभी श्रेणी के कृषकों हेतु पम्पसेट स्थापना एवं इस हेतु बैंक से ऋण लेने की व्यवस्था अब स्वैच्छिक होगी तथा कृषकों हेतु इसकी कोई बाध्यता नहीं होगी। किन्तु अतिरिक्त सिंचन क्षमता की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कृषकों को प्रेरित करते हुए अधिकाधिक मामलों में पम्पसेट स्थापित करने की कार्यवाही की जायेगी।

(द) शासनादेश संख्याः 1183/62-2-2005-2/2(42)/98टी.सी. दिनांक 29 मार्च, 2005 **(संलग्न क्रमांक-4)** में दिये गये निर्देशों के अनुसार प्रदेश के पठारी क्षेत्रों के उक्त शासनादेश में उल्लखित विकास खण्डों जहां हैण्ड बोरिंग सेट से बोरिंग किया जाना सम्भव नही हो पाता है, में अब कृषकों को निःशुल्क बोरिंग योजना से लाभान्वित करने हेतु इनवेल अथवा वैगन ड्रिल मशीन से बोरिंग कराने की अनुमति भी इस प्रतिबन्ध के साथ होगी कि कृषकों को अनुमन्य सीमा तक ही अनुदान देय होगा और अतिरिक्त व्यय भार कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

2- <u>अनुमन्य अनुदान</u> :-

योजना के अन्तर्गत बोरिंग निर्माण एवं पम्पसेट स्थापना हेतु निम्नानुसार अनुदान देय होगा-

क्र. सं.	कृषक की श्रेणी	अनुमन्य अनुदान	
		बोरिंग निर्माण हेतु	पम्पसेट स्थापना हेतु
1	सामान्य श्रेणी के लघु कृषक	अधिकतम रू0 3000/ प्रति बोरिंग	यूनिट कास्ट रू0 11300/- का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 2800/प्रति पम्पसेट
2	सामान्य श्रेणी के सीमान्त कृषक	अधिकतम रू0 4000/ प्रति बोरिंग	यूनिट कास्ट रू0 11300/- का 33 1/3 प्रतिशत अधिकतम रू0 3750/प्रति पम्पसेट
3	अनुसूचित जाति/ जनजाति के लघु/ सीमान्त कृषक	अधिकतम रू0 6000/ प्रति बोरिंग	यूनिट कास्ट रू0 11300/- का 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 5650/प्रति पम्पसेट

किन्तु शासनादेश संख्याः 8582/54-2--1299(93)/90 दिनांक 05 जनवरी, 1991 **(संलग्न क्रमांक-5)** में दिये गये निर्देशों के अनुसार बुन्देलखण्ड के उल्लखित जनपदों के चिन्हित विकास खण्डों में बोरिंग निर्माण हेतु विकास खण्डवार अनुदान वास्तविक व्यय अथवा रू0 4500/ से रू0 7000/, जो कम हो, अनुमन्य होगा तथा अतिरिक्त अनुदान की राशि बुन्देलखण्ड विकास निधि से वहन की जायेगी।

2.1 सामान्य/अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषको की बोरिंग में निर्धारित सीमा से बोरिंग की लागत यदि अधिक आती है तो अतिरिक्त व्यय सम्बन्धित लाभार्थी/कृषक द्वारा प्रचलित प्रकिया के अनुसार स्वयं वहन किया जायेगा। जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में धनराशि शेष बचने पर अवशेष धनराशि से निर्धारित अनुदान सीमा तक कृषक की बोरिंग पर पम्पसेट एसेसरीज, रिपलेक्शवाल्व/नान रिटर्न वाल्व, डिलिवरी पाइप इत्यादि उपलब्ध कराया जायेगा।

3. वित्तीय व्यवस्थाः-

वर्षवार निर्धारित लक्ष्य हेतु बोरिंग निर्माण एवं पम्पसेट अनुदान के लिए वांछित धनराशि की जनपदवार फौंट शासन द्वारा जिला सेक्टर के परिव्यय एवं उपलब्ध बजट के सापेक्ष शासनादेश संख्याः 367/62-2 -2004-2/2(4)/2004 दिनांक 01 अगस्त 2004 **(संलग्न क्रमांक-6)** के अनुसार सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई को अवमुक्त की जायेगी जिसकी सी0सी0एल0 मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी की जायेगी।

4- **लक्ष्यों का निर्धारण :-**

4.1 प्रत्येक वर्ष जनपदवार लक्ष्य शासन स्तर से उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष निर्गत किये जायेंगे।

4.2 क्षेत्र पंचायत (विकास खण्ड) हेतु लक्ष्यों का निर्धारण जनपद में अतिदोहित /क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों की स्थिति, क्षेत्र में कार्यक्रम की मांग तथा भूजल विकास की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई की संस्तुति पर जिला पंचायत द्वारा किया जायेगा।

4.3 क्षेत्र पंचायत द्वारा ग्राम पंचायतों के लक्ष्यो को निर्धारित किया जायेगा।

4.4 ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम जल संसाधन समिति की सहमति से उपरोक्तानुसार निर्धारित लक्ष्यों से 25% से अधिक की संख्या में लाभार्थियों का चयन कर सूची खण्ड विकास अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

5. **लाभार्थियों का चयन :-**

निःशुल्क बोरिंग के लिये कृषको के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

5.1 कृषको का चयन पात्रता को देखते हुए ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बोरिंग टेक्नीशियन/सहायक बोरिंग टेक्नीशियन द्वारा लघु सिंचाई विभाग के शासनादेश संख्याः 5257-1/62-2-2001-2 2127/99 दिनांक 16 दिसम्बर, 2001 **(संलग्न क्रमांक-7)** के क्रम में तैयार किये गये इनवेन्ट्री रजिस्टर (Directory of Works) से यह भी देखा जायेगा कि सम्बन्धित कृषक/लाभार्थी पूर्व में किसी योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुआ है अथवा नहीं और यदि सम्बन्धित कृषक/लाभार्थी पूर्व में लाभ ले चुके है तो उसे सूची से हटा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा लघु सिंचाई कार्यो का सेन्सस आधार वर्ष 2000-01 कराया गया है जिसमें ऐसे कृषको की सूची तैयार की गई है, जिनकी भूमि असिंचित है। इस सूची में अंकित कृषकों को चयनित करने हेतु विशेष ध्यान दिया जायेगा। ग्राम पंचायत द्वारा खुली बैठक में अन्तिम चयनित लाभार्थियों की सूची तैयार की जायेगी।

5.2 ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/बोरिंग टेक्नीशियन/सहायक बोरिंग टेक्नीशियन द्वारा उक्त सूची के अनुसार इन कृषकों का विवरण रूप–पत्र–1 (प्रति संलग्न) पर अंकित कर पात्रता के सम्बन्ध में संस्तुति की जायेगी।

5.3 खण्ड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, द्वारा अनुमोदित सूची के प्रत्येक चयनित लाभार्थी के रूप पत्र–1 पर स्वीकृत/अस्वीकृत सम्बन्धी संस्तुति सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को प्रेषित की जायेगी एंव सहायक अभियन्ता स्वीकृति/अस्वीकृति सम्बन्धी निर्णय लेकर प्रमाण पत्र अंकित करेंगे।

6. चयन में प्राथमिकतायें एवं प्रतिबन्ध :–

चयन में निम्न प्रतिबन्ध एवं प्राथमिकतायें होंगी :–

6.1 चयन करते समय यह ध्यान दिया जाये कि जहाँ बोरवेल/नलकूप स्थापित किये जा रहे है वहां खेती होनी चाहिए। यह अतिमहत्वपूर्ण है। इस बिन्दु पर कृषि विभाग से समन्वय स्थापित करके विभागों के कार्यो से सम्बन्धित सूचना का आदान–प्रदान कृषि विभाग से होना चाहिए।

6.2 कृषकों की बोरिंग के सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाय कि प्रस्तावित नलकूप/पम्पसेट से लगभग 3 हेक्टेयर शुद्ध कृषि योग्य भूमि की सिंचाई सम्भव हो सके।

6.3 अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में कार्य नहीं किया जायेगा।

6.4 सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में नाबार्ड द्वारा स्वीकृत सीमा के अन्तर्गत ही चयन किया जायेगा।

6.5 बोरिंग/पम्पसेट के मध्य दूरी नाबार्ड द्वारा जनपद विशेष के लिये निर्धारित दूरी से कम नहीं होनी चाहिए।

6.6 समादेश क्षेत्र में नहर प्रणालियों के अन्तर्गत अन्तिम छोर (टेल एण्ड) के उन क्षेत्रों में जिनमें नहरों से पानी मिलने में विशेष कठिनाई है,

कृषकों को चयन में प्राथमिकता देते हुए उनका कार्य भी प्राथमिकता से कराया जायेगा। ऐसे कृषको को चयन में वरीयता दी जाये।

6.7 समग्र ग्राम विकास योजना एवं बक्सल प्रभावित समग्र ग्राम विकास योजना के अर्न्तगत चयनित ग्रामो में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर बोरिंग का कार्य कराया जायेगा और उपलब्ध धनराशि से सर्वप्रथम इन ग्रामों के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की जायेगी।

6.8 बोरिंग की डिजाइन एंव प्राइम मूवर के हार्स पावर के निर्धारण हेतु प्री मानसून जलस्तर को ध्यान में रखा जाये और उसी के आधार पर बोरवेल/ नलकूप की गहराई इत्यादि निर्धारित की जाये।

7- बोरिंग की स्वीकृतिः-

7.1 चयनित/पात्र कृषको के बोरिंग की अनुमति रूप पत्र-1 पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति के पश्चात सहायक अभियन्ता द्वारा विकास खण्डवार निर्गत की जायेगी।

7.2 विकास खण्डवार बोरिंग की स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा विकास खण्डवार निर्गत सूची में उल्लिखित क्रम के अनुसार बोरिंग टेक्नीशियन/ सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के माध्यम से कृषकों की बोरिंग निर्मित की जायेगी।

8- <u>सामग्री व्यवस्था</u> :-

8.1 योजना के अन्तर्गत निर्मित बोरिंग में निर्धारित विशिष्टि का पी. वी.सी. पाइप प्रयोग किया जायेगा। अपवाद स्वरूप बोरिंग निर्माण में निर्धारित विशिष्टि के एम.एस. पाइप का प्रयोग केवल उन्हीं क्षेत्रों में किया जायेगा, जहां हाइड्रोजियोलाजिकल परिस्थितियों के कारण पी.वी.सी. पाइप का प्रयोग सम्भव न हो। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही एम0एस0 पाइप का प्रयोग किया जा सकेगा।

8.2 एम.एस. पाइप से होने वाली बोरिंग के सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता गत वर्ष के अवशेष को देखते हुए एम0एस0 पाइप की वास्तविक मांग अधीक्षण अभियन्ता के माध्यम से मुख्य अभियन्ता को

प्रेषित करेंगे। जिसकी व्यवस्था मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा क्रय नियमों के अन्तर्गत की जायेगी। पी0वी0सी0 पाइप से निर्मित होने वाली बोरिंग हेतु पी0वी0सी0 पाइप व अन्य सामग्री की व्यवस्था कृषकों द्वारा स्वयं की जायेगी और इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या 284/62-2-98-2/2(23)/97 दिनांक 13 फरवरी, 1998 **(संलग्न क्रमांक-8)** द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, परन्तु उक्त शासनादेश एवं शासनादेश संख्या 5257-1/ 62-2-2001-2/2(27)/99 दिनांक 16 दिसम्बर 2001 के साथ संलग्न रूप पत्रों के स्थान पर, इस स्ट्रेटजी के साथ संलग्न रूप पत्र यथा 1,2,3(अ), 3(ब), 3(स) तथा रूप पत्र-4 का प्रयोग किया जायेगा।

8.3 शासनोदश संख्या : 3096/62-2-98-2/2(23)/97 दिनांक 16 अप्रैल, 1998 **(संलग्न क्रमांक-9)** द्वारा की गई व्यवस्था के अनुसार पी0वी0सी0 पाइप के क्रय हेतु अनुमन्य अनुदान का चेक सम्बन्धित कृषक के नाम निर्गत कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित कृषक द्वारा चेक को सहायक अभियन्ता/खण्ड विकास अधिकारी के समक्ष सम्बन्धित फर्म/डीलर के नाम इन्डोर्स करते हुए सम्बन्धित फर्म/डीलर को उपलब्ध कराया जायेगा अथवा लघु सिंचाई विभाग द्वारा बोरिंग पूर्ण होने के उपरान्त कृषक से अधिकार पत्र प्राप्त कर सम्बन्धित डीलर/फर्म को सीधे भुगतान किया जायेगा। भुगतान हेतु दोनो व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था चुनने के लिये कृषक/लाभार्थी स्वतंत्र होगे।

8.4 अनुदान स्वीकृत करने हेतु पी0वी0सी0 पाइप तथा अन्य सामग्री की दरें निर्धारित करने हेतु शासनादेश संख्या 3251/62-2-98-2/2(23)/97 दिनांक 23 अप्रैल, 1998 **(संलग्न क्रमांक-10)** द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के अन्तर्गत निम्न सदस्य रहेंगे जो दरे निर्धारित करेंगे।

(1)	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
(2)	मुख्य विकास अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी परियोजना	सदस्य
(3)	अधिशासी अभियन्ता (ल0 सिं0)	संयोजक
(4)	अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड सिंचाई विभाग	सदस्य
(5)	जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य दो अधिकारी	सदस्य

8.5 इस शासनादेश के साथ निर्गत रूप पत्र 3(अ), 3(ब) एवं 3(स) पर बोरिंग टेक्नीशियन/ अवर अभियन्ता द्वारा निर्धारित विशिष्टियों की सामग्री क्रय किये जाने एवं बोरिंग में प्रयुक्त किये जाने का प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

8.6 शासनादेश संख्याः 3253/62-2-98-2/2(23)/97 दिनांक 23 अप्रैल, 1998 **(संलग्न क्रमांक-11)** में की गई व्यवस्था के अनुसार कृषक द्वारा सहमति दिये जाने की दशा में सामग्री क्रय हेतु आवश्यक आंशिक धनराशि मजदूरी के अंश से उपलब्ध करायी जा सकेगी।

8.7 कृषक द्वारा क्रय किये जा रहे पी.वी.सी. पाइप एवं फिटिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु शासनादेश संख्याः 5633/62-2-2000-2/12(40)/98 दिनांक 22 नवम्बर, 2000 **(संलग्न क्रमांक-12)** द्वारा की गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्यवाही की जायेगी और भुगतान करने से पूर्व वे यह पुष्टि करेंगे कि पाइप की आपूर्ति करने वाला डीलर/ उपडीलर आई. एस.आई. लाइसेन्सधारी निर्माता फर्म का अधिकृत डीलर है अथवा नहीं और उसके द्वारा फर्म से आई.एस.आई. मार्क पाइप वास्तव में क्रय किया गया है अथवा नही। इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश के प्रस्तर तीन में दिये गये निदेशों में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार क्षेत्र में भ्रमण के दौरान यह देखेंगे कि उपयोग किया जा रहा पी.वी.सी. पाइप आई.एस.आई. मार्क है अथवा नही।

9. **निःशुल्क बोरिंग का कियान्वयन :-**

9.1 प्रस्तर-7 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रार्थना पत्रों के आधार पर निःशुल्क बोरिंग करायी जायेगी।

9.2 निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न मदों के लिये दर अनुसूची (शिडयूल ऑफ रेटस) सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (लघु सिंचाई) द्वारा निर्धारित/संशोधित किये जायेगें। अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई दर अनुसूची के अनुसार कार्य कराये जाने के लिये उत्तरदायी होगें और अधीक्षण अभियन्ता (ल0सिं0) दर अनुसूची का पालन सुनिश्चित करायेंगे।

9.3 स्ट्रेनर बोरिंग में लगभग शत-प्रतिशत मामलों में प्रायः आई0एस0 कोड 4985 के अनुसार 110 एम0एम0 पी0वी0सी0 पाइप व

स्ट्रेनर का उपयोग किया जाना है। एम0एस0 पाइप की तुलना में पी0वी0सी0 पाइप की दक्षता अधिक होने के साथ ही सामग्री लागत कम होने से कैविटी बोरिंग में भी यथा सम्भव 6 के0जी0एफ0 का पी0वी0सी0 पाइप का प्रयोग किया जाये जब तक हाइड्रोजियोलाजिकल परिस्थितियाँ एम0एस0 पाइप से बोरिंग हेतु बाध्य न करें। ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित कर, सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (ल0सिं0) से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही, इन क्षेत्रों में आई0एस01239(भाग-1)/1990 के अनुसार 100 एम. एम.एम.एस.एल.सी. पाइप का प्रयोग किया जायेगा।

9.4 अवर अभियन्ता (ल0सिं0) विभागीय बोरिंग टेक्नीशियन/सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के माध्यम से बोरिंग का कार्य करायेंगे। कार्य के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी आदेश/निर्देश एवं वित्तीय नियमों का पूर्ण पालन किया जायेगा।

9.5 निःशुल्क बोरिंग योजना में डुप्लीकेसी की सम्भावना को रोकने हेतु खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अन्य योजनाओं में बोरिंग हेतु चयनित एंव पूर्ण लाभार्थियों की सूची प्रत्येक माह में सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को उपलब्ध कराई जायेगी। लघु सिंचाई विभाग की निःशुल्क बोरिंग योजना में बोरिंग के प्रार्थना पत्र की स्वीकृति के उपरान्त अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा सम्बन्धित बोरिंग टेक्नीशियन/सहायक बोरिंग टेक्नीशियन को कृषकों की सूची उपलब्ध कराई जायेगी। जिसके अनुसार बोरिंग टेक्नीशियन/ सहायक बोरिंग टेक्नीशियन समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर बोरिंग कार्य पूर्ण करायेंगे। जिन मामलों में मजदूरी का भुगतान अनुमन्य अनुदान से किया जाना हो, उसके सम्बन्ध में बोरिंग प्रारम्भ करने से पूर्व लघु सिंचाई विभाग द्वारा बोरिंग टेक्नीशियन को मस्टररोल उपलब्ध कराया जायेगा।

9.6 निःशुल्क बोरिंग योजना के लक्ष्यों के अनुरूप विभाग में बोरिंग टेक्नीशियन/सहायक बोरिंग टेक्नीशियन उपलब्ध न होने पर प्राइवेट बोरिंग सेट लगाने की अनुमति शासनादेश संख्याः 2270/54-2-1299(27)/88 दिनांक 14 मई, 1992 **(संलग्न क्रमांक-13)** में दिये गये निर्देशों के अनुसार इस प्रतिबन्ध के साथ होगी कि प्राइवेट सेट मात्र उन्ही विकास खण्डों में लगाये जायेंगे जहाँ लक्ष्यों के सापेक्ष बोरिंग

टेक्नीशियन/ सहायक बोरिंग टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं है साथ में यह प्रतिबन्ध होगा कि प्राइवेट बोरिंग सेट लगाने की सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता (ल0रिं0) से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

9.7 अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता का यह दायित्व होगा कि किसी भी बोरिंग पर निर्धारित सीमा से अधिक व्यय न हो। यदि सीमा के अतिरिक्त धन आवश्यक है तो अन्तर की राशि नकद धन के रूप में लाभार्थी कृषक से जमा कराई जायेगी, अथवा कृषक द्वारा सामग्री/ श्रमांश आदि के रूप में व्यय की जायेगी। अधिशासी अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगें कि निर्धारित सीमा से किसी भी दशा में अधिक व्यय न हो।

9.8 बोरिंग पूर्ण होने पर बोरिंग कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र संलग्न रूप पत्र–4 पर तैयार किया जायेगा, जिस पर लाभार्थी, बोरिंग टेक्नीशियन सम्बन्धित अवर अभियन्ता और प्रधान ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर होंगे। यह प्रमाण पत्र खण्ड विकास अधिकारी के प्रति–हस्ताक्षर सहित सहायक अभियन्ता (ल0रिं0) को और कृषकों ने यदि बैंक से पम्पसेट लगाने के लिये ऋण लिया है तो उससे सम्बन्धित बैंकों को प्रेषित किया जायेगा। यह प्रपत्र बोरिंग हस्तांतरण को भी प्रमाणित करेगा जिसकी एक प्रति कृषक को भी दी जायेगी।

9.9 पूर्ण बोरिंग की सूची अवर अभियन्ता द्वारा ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर अथवा सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित की जायेगी तथा क्षेत्र पंचायत की बैठक में भी प्रस्तुत की जायेगी।

9.10 निःशुल्क बोरिंग कार्य लघु सिंचाई विभाग द्वारा लोक लेखा पद्धति के अन्तर्गत कराया जायेगा। जिन मामलों में निर्धारित सीमा के भीतर बोरिंग का कार्य सम्भव है, समस्त कार्य विभाग द्वारा पूर्ण कराकर श्रमांश का भुगतान सम्बन्धित मजदूरों को सीधे किया जायेगा।

9.11 निःशुल्क बोरिंग योजना में कृषक को बोरिंग पर अनुमन्य अनुदान में से बोरिंग सेट का किराया काटकर राजस्व जमा किया जायेगा। बोरिंग सेट के किराये की दरें अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा निर्धारित की जायेगी। शासनादेश संख्याः 5257–1/62–2–2001–2.2 (27)/99 दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार

बोरिंग टेक्नीशियन/ सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का वेतन भत्ता अब चार्ज नहीं किया जायेगा।

10- पम्पसेट के नकद क्रय की प्रक्रिया, पम्पसेट स्थापना एंव अनुदान स्वीकृति

निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम के अर्न्तगत सभी श्रेणी के कृषको की बोरिंग पर पम्पसेट स्थापित करने हेतु पम्पसेट के क्रय में बैंक से ऋण लेने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अतः पम्पसेट के नकद क्रय की प्रक्रिया, पम्पसेट स्थापना एंव अनुदान उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध मे शासनदेश संख्याः 4045/62-2-2004 दिनांक 13 अक्टूबर, 2004 **(संलग्न क्रमांक-14)** द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार कार्यवाही की जायेगी।

11- ऋण से पम्पसेट स्थापना, अनुदान स्वीकृत एवं समायोजन :-

11.1 कृषको द्वारा ऋण के माध्यम से पम्पसेट स्थापित करने की स्थिति में ऋण प्रार्थना पत्र निर्धारित प्रपत्र पर औपचारिकता पूर्ण कराते हुए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ बोरिंग टेक्नीशियन/ सहायक बोरिंग टेक्नीशियन व अन्य अधिकारी जो इस कार्य हेतु अधिकृत हो, के द्वारा तैयार किये जायेंगे, जिन पर अवर अभियन्ता ल0सि0 द्वारा तकनीकी प्लान अंकित कर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से बैंको को प्रेषित किये जायेंगे। सम्बन्धित बैंको द्वारा ऋण स्वीकृत करने के उपरान्त कृषकवार एवं श्रेणीवार अनुदान का मॉग पत्र सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता को सहायक अभियन्ता के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा जिसके अनुसार अनुदान की अग्रिम धनराशि अधिशासी अभियन्ता द्वारा बैंको को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषको द्वारा यदि ऋण लेने का विकल्प चुना जाता है तो, ऋण स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् बोरिंग की जायेगी।

11.2 पम्पसेट अनुदान दिये जाने के बाद सम्बन्धित बैंक द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर समायोजन की कृषकवार, मासिक सूचना लघु सिंचाई विभाग को दी जायेगी। पूर्व में उपलब्ध कराये गये अग्रिम अनुदान राशि का समायोजन प्राप्त होने के उपरान्त ही लघु सिंचाई विभाग द्वारा अनुदान की अगली किश्त की धनराशि बैंक को दी जायेगी।

11.3 योजना के अन्तर्गत कृषक द्वारा स्थापित किये गये पम्पसेट के सत्यापन की सूचना पत्रावली बनाने वाले ग्राम पंचायत विकास अधिकारी,

बी0टे0/रा0बी0टे0 अथवा अन्य अधिकारी ऋण वितरण होने के एक माह के अन्दर खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित करेंगे। इस सूचना में ग्राम प्रधान का प्रमाण पत्र भी अंकित होगा, जिसके लिये रूप पत्र का निर्धारण मुख्य अभियन्ता द्वारा अलग से किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी इस सूचना को सम्बन्धित बैंक एवं सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को प्रत्येक माह में प्रेषित करेंगे और यदि ऋण स्वीकृत होने के दो माह के अन्दर कृषक द्वारा पम्पसेट स्थापित नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित बैंक द्वारा कृषक से वसूली करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पम्पसेट की स्थापना प्रमाण-पत्र देने की जिम्मेदारी पत्रावली बनाने वाले कर्मचारी की होगी, जिसका प्रमाण पत्र अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई व खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर से बैंक व सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को भेजा जायेगा।

11.4 ऋण की सम्पूर्ण वसूली होने तक पम्पसेट मानक प्रक्रिया के अनुसार बन्धक रहेगा और कृषक द्वारा इसे बेचा जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा।

11.5 विभागीय अधिकारी प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अपने स्तर से भी पम्पसेट का सत्यापन दो माह के अन्दर करायेंगे और यदि अनुदान के दुरूपयोग का प्रकरण प्रकाश में आता है तो उसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता सम्बन्धित बैंक, जिलाधिकारी तथा मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग को अग्रसर कार्यवाही हेतु देंगे।

11.6 सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्था का यह दायित्व होगा कि इस प्रकार प्रकाश में आये दुरूपयोग के प्रकरणों में दिये गये अनुदान की धनराशि की वसूली करके लघु सिंचाई विभाग को वापस उपलब्ध करायें। ऐसे मामलों में अधिशासी अभियन्ता (ल0सिं0) प्रभावी अनुश्रवण करेंगे।

11.7 ऋण के मामलो में अनुदान समायोजन न होने वाले मामलों को शासन द्वारा विशेष गम्भीरता से लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी शिथिलता बरतेगा, तो उसके विरूद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

11.8 ऋण लेने वाले लाभार्थियों को इस बात की पूरी छूट होगी कि वह अपने मनपसन्द के आई0एस0आई0 मार्क पम्पसेट खुले बाजार में किसी भी इंजन/पम्पसेट निर्माता के अधिकृत विक्रेता से अपनी इच्छानुसार खरीद सके। बैंकों द्वारा पम्पसेट क्रय हेतु भुगतान लाभार्थियों के पक्ष में एकाउन्टपेयी चेक द्वारा किया जायेगा।

11.9 निःशुल्क बोरिंग योजना में स्थापित बोरिंग एवं पम्पसेट की क्षमता पर विचारोपरान्त यदि कृषक अधिक क्षमता का पम्पसेट चाहते है तो बोरवेल की क्षमता पम्पसेट की क्षमता के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

11.10 स्थापित किये गये पम्पसेट की सूची खण्ड विकास अधिकारी द्वारा क्षेत्र समिति की बैठक में रखी जायेगी। इसके उपरान्त कृषकों को देय छूट, खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति पर बैंक द्वारा समायोजित की जायेगी। यदि क्षेत्र समिति की बैठक में बोरिंग न होने या भुगतान के दुरूपयोग का कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो खण्ड विकास अधिकारी क्षेत्र समिति का प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी को भेजेगें। मुख्य विकास अधिकारी प्रकरण की जांच के परिणामों से क्षेत्र समिति को अवगत करायेंगे और दुरूपयोग के मामले में अधिशासी अभियन्ता (ल0सिं0) से आवश्यक कार्यवाही करायेगें।

12- <u>गुणवत्ता नियंत्रण एवं भौतिक सत्यापन</u> :-

12.1 कार्यक्रम की सफलता के लिये समयबद्ध ढ़ंग से निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की पूर्ति के साथ गुणवत्ता का उच्च स्तर बनाये रखा जाना आवश्यक होगा। कुल निष्पादित निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम के भौतिक सत्यापन तथा निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम में गुणवत्ता बनाये रखने के लिए विभिन्न स्तरों से निरीक्षण/सत्यापन/जांच आवश्यक होगी। इस सम्बन्ध में संलग्नक-1 द्वारा निर्धारित मानकों का पालन किया जाये। इसके अतिरिक्त बगैर पम्पसेट वाली बोरिंग का दुरूपयोग न हो, को सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश संख्याः 3195/62-2-2005-2/2(6)/2004 दिनांक 30 दिसम्बर, 2005 द्वारा सत्यापन हेतु निर्धारित मानक के अनुसार सत्यापन की कार्यवाही कराते हुए सत्यापन रिर्पोट वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा प्रत्येक माह अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी सहित मुख्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।

12.2 योजना के अन्तर्गत निर्मित कार्यो का सत्यापन ग्राम पंचायत की जल संसाधन समिति द्वारा समय-समय पर किया जाये। अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा बोरिंग पूर्ण होने पर इसकी सूचना ग्राम प्रधान एवं जल संसाधन समिति को दी जायेगी तथा जल संसाधन समिति के अध्यक्ष के समक्ष बोरिंग चलाकर रूप पत्र-4 पर उनसे यह प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा कि बोरिंग सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

12.3 सत्यापन के समय वर्ष में सम्बन्धित ग्राम में पूर्ण समस्त बोरिंग का स्थलीय सत्यापन विभागीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। सहायक अभियन्ता, (ल0सि0) प्रति माह टास्क फोर्स व विभिन्न अधिकारियों द्वारा किये गये सत्यापन की रिपोर्ट संकलित कर अधिशासी अभियन्ता, (ल0सि0) व अधीक्षण अभियन्ता, (ल0सि0) को देंगे। अधीक्षण अभियन्ता, (ल0सि0) द्वारा जनपदवार सत्यापन की सूचना संकलित कर मुख्य अभियन्ता, ल0सि0 को प्रतिमाह मासिक रिपोर्ट के साथ-साथ प्रेषित की जायेगी। जो बोरिंग त्रुटिपूर्ण/फर्जी पायी जाये उनके सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही जनपद स्तर पर सहायक अभियन्ता, (ल0सि0) द्वारा व खण्ड स्तर पर अधिशासी अभियन्ता, (ल0सि0) द्वारा की जायेगी।

12.4 बोरिंग कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये उसकी परिकल्पना, प्रयुक्त सामग्री की विशिष्टियाँ प्रस्तर-9.3 के अनुसार रहेगी। लघु सिंचाई विभाग के विभिन्न स्तरों के अधिकारी/कर्मचारी उक्त गुणवत्ता के स्तर को सुनिश्चित करने के लिये नियमों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत उत्तरदायी होंगे।

12.5 उपर्युक्त के अतिरिक्त कृषको द्वारा क्रय किये गये पी0वी0सी0 पाइप के संदर्भ में सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (ल0सि0) लक्ष्यो के एक प्रतिशत मामलों में क्षेत्र का भ्रमण कर क्रय किये गये पाइप का नमूना लेकर विस्तृत विवरण सहित अधिशासी अभियन्ता आपूर्ति खण्ड को भेजेगें तथा अधिशासी अभियन्ता, आपूर्ति खण्ड नमूने की इण्टरनल कोडिंग करते हुए इन नमूनों को परीक्षण हेतु **"सीपेट"** को भेजेगें और परीक्षण के परिणामों के अनुसार कार्यवाही करेंगे। नमूने लेते समय अधिशासी अभियन्ता के साथ सम्बन्धित सहायक अभियन्ता और अवर अभियन्ता उपस्थित रहेगें और अवर अभियन्ता द्वारा पी0वी0सी0 पाइप के नमूने का लम्बाई के अनुसार मूल्य आंकलित कर मौके पर ही पी0आई0 से

सम्बन्धित कृषकों को भुगतान कर दिया जायेगा तथा इसका वहन निःशुल्क बोरिंग की कन्टीजेन्सी से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त **"सीपेट"** से कराये गये परीक्षण हेतु व्यय हुई धनराशि भी सम्बन्धित खण्ड में उपलब्ध निःशुल्क बोरिंग योजना की कन्टीजेन्सी से वहन की जायेगी। नमूने लेने की विस्तृत प्रक्रिया मुख्य अभियन्ता के पत्र संख्या 675/ल0सि0/भं0आ0/ सामान्य-2000-01 दिनांक 11 जून 2001 **(संलग्न कमांक-15)** तथा पत्र संख्या 1386/ल0 सि0/भं0आ0/ पी0वी0सी0 गुणवत्ता/03-04 दिनांक 4 मार्च 2004 **(संलग्न कमांक-16)** द्वारा निर्गत है। अधिशासी अभियन्ता, आपूर्ति खण्ड द्वारा नमूनो के परीक्षण एंव परिणामों के संम्बन्ध में प्रत्येक माह समीक्षा कर आख्या मुख्य अभियन्ता के माध्यम से शासन को प्रेषित की जायेगी।

12.6 कार्यक्रम में पारदर्शिता रखने के उददेश्य से पूर्ण की गई बोरिंग की सूची एवं स्थापित पम्पसेट की सूची सम्बन्धित ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के नोटिस बोर्ड पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित की जायेगी और ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों की बैठक में भी प्रस्तुत की जायेगी। वर्ष के अन्त में पूर्ण की गई समस्त बोरिंग के लाभार्थियों की सूची प्रकाशित की जायेगी तथा क्षेत्र एवं जिला पंचायतों को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही उपर्युक्त सूची समस्त जन प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

12.7 कार्यक्रम की गति बनाये रखने के लिये समय-समय पर क्षेत्रीय समस्याओं के निराकरण के उददेश्य से ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायत स्तर पर कार्यक्रम का नियमित अनुश्रवण किया जायेगा। विभागीय अधिकारी भी समय-समय पर योजना के कियान्वयन की समीक्षा करके मुख्य अभियन्ता (ल0 सिं0) को अवगत करायेगें।

13 <u>सामान्य निर्देश</u> :-

13.1 लघु सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित निःशुल्क बोरिंग के माडल प्राक्कलन की प्रतियॉं खण्ड विकास अधिकारी तथा लाभार्थी/ कृषक को भी उपलब्ध करायी जायेंगी।

13.2 निःशुल्क बोरिंग से सम्बन्धित मुख्य नियम, प्राविधान/नियमावली को लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत में उपर्युक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जाये।

13.3 बोरिंग प्रारम्भ करने से पूर्व कृषक, ग्राम प्रधान/ जल संसाधन समिति के अध्यक्ष को यह अवगत कराने की व्यवस्था की जाये कि किस दिन बोरिंग प्रारम्भ की जायेगी। यह व्यवस्था भी की जाये कि जिस दिन बोरिंग प्रारम्भ हो उस दिन ग्राम में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित हो जिसमें लाभार्थी, ग्राम प्रधान, जल संसाधन समिति के सदस्य अथवा अन्य ग्रामवासी उपस्थिति रहे।

13.4 लाभार्थियों के चयन तथा ऋण लेने के इच्छुक कृषको को ऋण स्वीकृत करने के स्तर तक की समस्त निर्धारित प्रक्रियाओं को पूर्ण कराने का दायित्व जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी का रहेगा। प्रार्थना पत्र स्वीकृत करने, निःशुल्क बोरिंग कराने, लेखा पूर्ण कराने, अनुदान उपलब्ध कराने एवं कार्यक्रम के कियान्वयन का पूर्ण दायित्व जनपद स्तर पर सहायक अभियन्ता (ल0सिं0) एवं खण्ड स्तर पर अधिशासी अभियन्ता (ल0सिं0) का होगा जो कार्यक्रम के नोडल अधिकारी भी होंगे। निर्मित कार्यो के मानक एवं दर अनुसूची निर्धारित करने एंव गुणवत्ता नियन्त्रण का दायित्व वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता (ल0सिं0) का होगा। पूर्ण योजना का संचालन एवं सामग्री व्यवस्था तथा गुणवत्ता नियन्त्रण का पूर्ण दायित्व मुख्य अभियन्ता (ल0सिं0) विभाग का होगा।

13.5 ग्राम स्तर पर कुल निर्मित बोरिंग की गणना कराकर प्रत्येक कृषक की बोरिंग की नम्बरिंग करते हुए मुख्य अभियन्ता के कार्यालय पत्र संख्याः 609/ल.सिं./कार्य./वर्क प्लान/2002 दिनांक 30 अप्रैल, 2002 **(संलग्न क्रमांक–17)** द्वारा इन्वेन्ट्री रजिस्टर हेतु निर्धारित रूप पत्र में उनका विवरण रखा जाये और इसकी सूचना कृषक, ग्राम पंचायत एवं जल संसाधन समिति को उपलब्ध करायी जाये।

13.6 कार्यक्रम की वित्तीय एवं भौतिक पाक्षिक/मासिक प्रगति की सूचना निर्धारित प्रपत्रों पर नियमित रूप से अधिशासी अभियन्ता व

अधीक्षण अभियन्ता द्वारा संकलित कर मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

13.7 इस शासनादेश में सन्दर्भित विभिन्न शासनादेशों के ऐसे प्राविधान जिनका उल्लेख इसमें सम्भव नहीं हो पाया है, यथावत लागू रहेंगे।

संलग्नक :– यथोक्त।

भवदीय,

24.5.06

(अनीस अंसारी)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या 12630/62-2-06 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव वित्त/नियोजन/राजस्व/ कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव।
6. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7. कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त विभागाध्यक्ष।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ।
9. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग, बी0के0टी0, लखनऊ।
12. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई, उ0प्र0।
14. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त जिला प्रबन्धक, उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ।
16. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
17. अधीक्षण अभियन्ता/विषय विशेषज्ञ, लघु सिंचाई प्रकोष्ठ, लखनऊ।
18. अधिशासी अभियन्ता (ल0सिं0) आपूर्ति खण्ड, लखनऊ।
19. निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उ0प्र0 स्टेशन रोड, लखनऊ।
20. गार्ड फाइल लघु सिंचाई एंव ग्रा0अभि0सेवा, अनुभाग–2 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।

आज्ञा से,

(सुधीर गर्ग)
सचिव।

संलग्नक:- 1

निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम, भौतिक सत्यापन/निरीक्षण हेतु मानक निर्धारण -

निःशुल्क बोरिंग की सफलता के लिये समयबद्ध ढंग से लक्ष्य पूर्ति के साथ कार्यक्रम की गुणवत्ता का उच्च स्तर भी बनाया जाना परम आवश्यक होगा। कुल निष्पादित निःशुल्क बोरिंग कार्य के भौतिक सत्यापन तथा गुणवत्ता स्तर को बनाये रखने के लिये विभिन्न स्तरों से निरीक्षण/सत्यापन/जाँच आवश्यक होगी। अस्तु शासन में सम्यक विचारोपरान्त समस्त सम्बन्धित हेतु निम्नवत मानक निर्धारित किये हैं:-

1- जिलाधिकारी - एक प्रतिशत

2- मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी विकास एवं परियोजना निदेशक - दो प्रतिशत

3- अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई एवं अन्य संस्थाओं के समकक्ष अधिकारी - दो प्रतिशत

4- अधिशासी अभियन्ता (ल0सिं0) तथा अन्य संस्थाओं के समकक्ष अधिकारी - पाँच प्रतिशत

5- परगनाधिकारी - दो प्रतिशत

6- सहायक अभियन्ता (ल0सिं0) एवं अन्य संस्थाओं के समकक्ष अधिकारी - दस प्रतिशत

7- खण्ड विकास अधिकारी - पाँच प्रतिशत

8- अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई। - शत-प्रतिशत

उपरोक्त सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान निर्धारित मानक के अनुसार निःशुल्क बोरिंग का निरीक्षण किया जाना परम आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम में न केवल आपके क्षेत्र में कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ेगी। अपितु लघु/सीमान्त कृषकों के जीवन यापन स्तर में सुधार आयेगा, जिसके निमित्त शासन कटिबद्ध है।

मण्डलीय स्तरीय अधिकारियों द्वारा चैकिंग/भौतिक सत्यापन/निरीक्षण के मानक नहीं दिये जा रहे हैं। इन मानकों को मण्डलायुक्त स्तरों से सम्बन्धित संयुक्त/उप विकास आयुक्त निर्गत करा लेंगे।

राजेश/

रूप–पत्र–1

लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
निःशुल्क बोरिंग हेतु प्रार्थना पत्र

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,
विकास खण्ड .....
जनपद .....

महोदय,

मै ..... पुत्र श्री .....जाति ..... (सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) निवासी ग्राम ..... विकास खण्ड ..... जनपद ..... उत्तर प्रदेश, लघु सिंचाई विभाग की निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत खसरा संख्या ..... में निःशुल्क बोरिंग कराकर सिंचाई सुविधा का लाभ उठाना चाहता हूँ।

1– मेरे पास उत्तर प्रदेश भर में कुल ..... हैक्टेयर भूमि है तथा कृषि के अतिरिक्त मेरी वार्षिक आमदनी रू0 .....मात्र है।

2– मुझे सिंचाई सुविधा हेतु किसी अन्य विभाग अथा योजना द्वारा लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई लाभ नहीं मिला है।

*3– मै सामान्य जाति /अनुसूचित जाति/जनजाति का कृषक हूँ। मै वर्तमान में पम्पसेट स्थापित नहीं कराना चाहता हूँ। पम्पसेट किराये पर लेकर निःशुल्क बोरिंग का उपयोग सिंचाई हेतु करूंगा।

अथवा

मै सामान्य जाति /अनुसूचित जाति/जनजाति का कृषक हूँ। मै बैंक के माध्यम से विद्युत/डीजल पम्पसेट/नलकूप लगवाने के लिए ऋण प्रार्थना पत्र तुरन्त प्रस्तुत कर दूंगा तथा दो माह में पम्पसेट स्थापित करा लूंगा।

अथवा

मै सामान्य जाति / अनुसूचित जाति/जनजाति का कृषक हूँ। मै नगद क्रय प्रक्रिया के अन्तर्गत 02 माह में पम्पसेट स्थापित करा लूंगा।

4– मै इस योजना हेतु शासन एवं विभाग द्वारा निर्धारित समस्त नियमों तथा शर्तो का पालन करूंगा।

संलग्नः– राजस्व विभाग के भूमि सम्बन्धी अभिलेख।

दिनांक .....

ह0 कृषक

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ बोरिंग टेक्नीशियन की आख्या :-

कृषक का कथन सत्य है, उसे सिंचाई सुविधा हेतु किसी अन्य निगम अथवा योजना द्वारा लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं किया गया है। इनके प्रार्थना पत्र को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है इनका नाम ग्राम ..... की चयनित सूची के क्रमांक ..... पर अंकित है।

नाम कर्मचारी ..... ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ बोरिंग टेक्नीशियन/ स0बो0टे0

अवर अभियन्ता (ल.सिं.) की आख्या :-

मैने कृषक द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर लिया है। इनका प्रार्थना पत्र योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार है। अतः स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

अथवा,

प्रार्थना पत्र निम्न कारणों से अस्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

नाम अवर अभियन्ता (ल.सिं.) ह0 अवर अभियन्ता (ल.सिं.)

खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति

सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई जनपद .....

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी/ बोरिंग टेक्नीशियन तथा अवर अभियन्ता (ल.सिं.) की संस्तुति तथा कार्यालय अभिलेखों के आधार पर कृषक का प्रार्थना पत्र स्वीकृत योग्य है। अतः निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत बोरिंग कराने की संस्तुति की जाती है।

अथवा

निम्न कारणों से बोरिंग प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है।

नाम खण्ड विकास अधिकारी ..... ह0 खण्ड विकास अधिकारी

दिनांक ..... विकास खण्ड .....

सहायक अभियन्ता की स्वीकृति :-

उपरोक्त संस्तुति के आधार पर कृषक का प्रार्थना पत्र स्वीकृत/अस्वीकृत किया जाता है।

नाम सहायक अभियन्ता ..... ह0 सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई

जनपद .....

*जो लागू न हो उसे काट दें।

रूप–पत्र–2

लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
निःशुल्क बोरिंग हेतु अनुरोध/ अनुबन्ध पत्र
(रू0 10 के नान जुडीशियल स्टाम्प पर)

सेवा में,

सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई,
जनपद .....

महोदय,

अनुरोध है कि मै ..... पुत्र श्री ..... निवासी ग्राम ..... विकास खण्ड ..... जनपद ..... उत्तर प्रदेश, लघु सिंचाई विभाग की निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत बोरिंग कराकर शासन द्वारा अनुमन्य अनुदान की दरो पर विद्युत/डीजल, पम्पसेट/नलकूप स्थापित कर अथवा किराये के पम्पसेट से सिंचाई सुविधा का लाभ उठाना चाहता हूँ।

1– मै बोरिंग कार्य में लघु सिंचाई विभाग को पूर्ण सहयोग दूँगा।

2– मै बोरिंग स्थल पर सरकारी सामान तथा स्टाक सामग्री की सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध करूंगा तथा किसी भी प्रकार की हानि का उत्तरदायी रहूँगा।

3– मुझे बोरिंग कार्य हेतु अनुमन्य अनुदान की जानकारी है, मै मु0 ..... रू0 से अधिक जो भी व्यय होता है उसे बोरिंग प्रारम्भ होने से पूर्व जमा कर दूँगा अथवा स्वयं वहन करूंगा।

*4– मै सामान्य जाति /अनुसूचित जाति/जनजाति का कृषक हूँ। मै वर्तमान में पम्पसेट स्थापित नहीं कराना चाहता हूँ। पम्पसेट किराये पर लेकर निःशुल्क बोरिंग का उपयोग सिंचाई हेतु करूंगा।

अथवा

मै सामान्य जाति /अनुसूचित जाति/जनजाति का कृषक हूँ। मै बैंक के माध्यम से विद्युत/डीजल पम्पसेट/नलकूप लगवाने के लिए ऋण प्रार्थना पत्र तुरन्त प्रस्तुत कर दूंगा तथा दो माह में पम्पसेट स्थापित करा लूंगा।

अथवा

मै सामान्य जाति /अनुसूचित जाति/जनजाति का कृषक हूँ। मै नगद कय प्रकिया के अन्तर्गत 02 माह में पम्पसेट स्थापित करा लूंगा।

5– मै बोरिंग पूर्ण होने के दो माह के अन्दर ही विद्युत/डीजल पम्पसेट स्थापित कर सिंचाई आरम्भ कर दूंगा। ऐसा न होने पर मै सरकार द्वारा प्रदत्त किसी भी सुविधा का हकदार न हूंगा तथा सरकार को अधिकार होगा कि वह मुझे प्राप्त ऋण तथा अनुदान की, एकमुश्त वसूली भूराजस्व के रूप में मुझ से कर ले।

6– मै बोरिंग का साइज तथा पम्पसेट का हार्सपावर वहीं रखूंगा जो लघु सिंचाई विभाग द्वारा मेरी जोत, डिस्चार्ज व हेड के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। इसमें परिवर्तन करने पर मै अनुदान का अधिकारी नहीं हूंगा।

7– मै इस योजना हेतु शासन एवं विभाग द्वारा निर्धारित समस्त नियमों तथा शर्तो का शत–प्रतिशत पालन करूंगा।

संलग्नः ऋण स्वीकृत पत्र

दिनांक .....

ह0 कृषक
(1 रू0 के रेवेन्यू स्टाम्प पर)

अवर अभियन्ता (ल.सिं.) की आख्या

कृषक का प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत द्वारा चयनित है व खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दिनांक ..... को संस्तुति की गई है। यह अनुसूचित जाति/जनजाति/ सामान्य जाति के लघु/सीमान्त कृषक है। मैने कृषक द्वारा प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर लिया है। उनका प्रार्थना पत्र योजना के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्डों के अनुसार है। इस बोरिंग पर संलग्न स्टीमेट के अनुसार मु0 ..... रू0 का व्यय आने की संभावना है जिसमें से मु0 ..... रू0 का भुगतान दिया जायेगा व मु0 ..... रू0 कृषक ने विभाग में जमा कर दिये है/ स्वयं वहन करेगा। अतः बोरिंग करने की स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक .....

अवर अभियन्ता (ल.सिं.)

स्वीकृत

सहायक अभियन्ता
लघु सिंचाई .....

*जो लागू न हो उसे काट दें।

रूप--पत्र-3 (अ)

लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

बोरिंग करने की अनुमति एवं सामग्री की व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र

सेवा में,

सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई,
जनपद .....

महोदय,

मै ..... पुत्र श्री ..... निवासी ग्राम ..... विकास खण्ड ..... जनपद ..... उत्तर प्रदेश, लघु सिंचाई विभाग की निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत बोरिंग कराकर सिंचाई सुविधा का लाभ उठाना चाहता हूँ। मै बोरिंग हेतु सामग्री का क्रय मेसर्स ..... से करना चाहता हूँ। जिनकी सहमति नीचे अंकित है। बोरिंग में प्रयुक्त सामग्री हेतु अनुमन्य अनुदान का भुगतान निम्न प्रकार सुनिश्चित करते हुए बोरिंग प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

(अ) भुगतान मुझे कर दिया जाये, आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान करना मेरा उत्तरदायित्व होगा।

(ब) भुगतान करने हेतु मै लघु सिंचाई विभाग को अधिकृत करता हूँ कि वह आपूर्तिं कर्ता को सीधे भुगतान कर दे।

दिनांक .....

ह0 गवाह

ह0 कृषक

आपूर्तिकर्ता फर्म की आख्या :-

मै मे0 ..... पी.वी.सी. पाइप निर्माता फर्म मे0 ..... जो पी.वी.सी. पाइप के उत्पादन हेतु बी.आई.एस. से अधिकृत है और आई. एस.आई लाइसेन्स सं0 ..... है, का अधिकृत डीलर हूँ प्रमाणित करता हूँ कि मै लघु सिंचाई विभाग द्वारा संस्तुति के अनुरूप उक्त कृषक को सामग्री उपलब्ध करा दूंगा।

फर्म प्राधिकारी के हस्ताक्षर
फर्म की मुहर

अवर अभियन्ता (ल.सिं.) की आख्या

मैने आपूर्तिकर्ता की वैधता की जांच कर ली है। विकास खण्ड हेतु स्वीकृत माडल प्राक्कलन के अनुसार कृषक की बोरिंग हेतु निम्न प्रकार सामग्री की आवश्यकता अनुमानित है।

क.सं.	सामग्री का विवरण	विशिष्टियाँ	मात्रा	दर	धनराशि
1	पी.वी.सी. पाइप				
2					
3					
योग					

अतएव उक्तानुसार सामग्री की व्यवस्था करते हुए बोरिंग करने की स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक .....

अवर अभियन्ता (ल.सिं.)
विकास खण्ड

रूप प्र-3 (ब)

लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

सामग्री व्यवस्था सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई की स्वीकृति।

सम्यक विचारोपरान्त श्री .... पुत्र श्री .... निवासी ग्राम .... विकास खण्ड .... जनपद .... उत्तर प्रदेश आपको निःशुल्क बोरिंग हेतु अधोलिखित विवरण के अनुसार मे0 .... जो पाइप निर्माता फर्म मे0 .... जो पाइप निर्माता फर्म मे0......................... के अधिकृत डीलर है, से क्रय की अनुमति प्रदान की जाती है।

क.सं.	सामग्री का विवरण	विशिष्टियाँ	मात्रा	दर	धनराशि
1	पी.वी.सी. पाइप				
2					
3					
योग					

प्रयुक्त सामग्री पर निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार पाये जाने एवं बोरिंग कार्य संतोषजनक ढंग से पूर्ण होने के उपरान्त कृषक द्वारा दिये गये विकल्प के अनुरूप निम्नानुसार अनुदान की राशि निर्गत की जायेगी।

(अ) अनुदान की राशि आप/ कृषक के नाम निर्गत की जायेगी और आपूर्तिकर्ता फर्म को भुगतान का उत्तरदायित्व कृषका का होगा।

(ब) आप (कृषक) द्वारा दिये गये अधिकार के अनुसार अनुदान की धनराशि का भुगतान आपूर्ति कर्ता फर्म को सीधे किया जायेगा।

यह भुगतान आपके प्रार्थना पत्रों एवं अनुरोध पत्र में की गई घोषणा के आधार पर स्वीकृत किया जा रहा है, यदि यह पाया जाता है कि आपके द्वारा असत्य घोषणा की गई है अथवा अनुरोध पत्र में उल्लिखित शर्तो का किसी प्रकार से उल्लंघन किया है तो अनुदान की राशि एक मुश्त भू-राजस्व के रूप में वसूल कर ली जायेगी।

दिनांक ....

सहायक अभियन्ता,
लघु सिंचाई

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सम्बन्धित कृषक।

2- खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ....

3- मे0 ....

4- बिल हेतु।

दिनांक ....

सहायक अभियन्ता,
लघु सिंचाई
जनपद ....

रूप–पत्र–3(स)

लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

सामग्री उपभोग प्रमाण–पत्र।

मै श्री ..... पुत्र श्री ..... निवासी ग्राम ..... विकास खण्ड ..... जनपद ..... उत्तर प्रदेश के बोरिंग स्थल का निरीक्षण बोरिंग से पूर्व दिनांक ..... को किया। कृषक के पास मे0 ..... द्वारा आपूर्ति किया गया निम्न सामान उपलब्ध है तथा सामग्री निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप है, जिसका उपयोग मेरे द्वारा कृषक की बोरिंग पूर्ण करने में किया जायेगा।

क.सं.	सामग्री का विवरण	विशिष्टियॉ	मात्रा	दर	धनराशि
1	पी.वी.सी. पाइप				
2					
3					
योग					

पाइप आई0एस0आई0 मार्क हैं

नाम– बोरिंग टेक्नीशियन/स0बो0टे0 ह0 बोरिंग टेक्नीशियन/ स0बो0टे0

मेरे द्वारा उक्त कृषक की बोरिंग का निरीक्षण दिनांक ..... को किया गया। कृषक की बोरिंग उपरोक्तानुसार आपूर्तित सामग्री का उपयोग करते हुए पूर्ण करा दी गई है। बोरिंग बिकसन के उपरान्त सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। इस कार्य हेतु सामग्री पर अनुमन्य अनुदान की धनराशि संलग्न बिल के अनुसार भुगतान की संस्तुति की जाती है।
संलग्न– फर्म का बिल।

नाम अवर अभियन्ता (ल.सिं.)
विकास खण्ड
भुगतान की संस्तुति

ह0 अवर अभियन्ता
लघु सिंचाई

मु0 ..... रू0 के भुगतान की संस्तुति की जाती है।

नाम अवर अभियन्ता (ल.सिं.)
विकास खण्ड

ह0 सहायक अभियन्ता,
लघु सिंचाई

भुगतान का विवरण :–

बाउचर संख्या ..... दिनांक ..... द्वारा मु0 .....
रू0 ..... का भुगतान किया जाता है।

ह0 अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रखण्ड

प्रपत्र-7

लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।
बोरिंग का कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र एवं व्यय का विवरण।

1. कृषक का नाम ....
2. पिता/पति का नाम ....
3. ग्राम ....
4. विकास खण्ड ....
5. जनपद ....
6. जाति-सामान्य/अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति ....
7. श्रेणी-लघु/सीमान्त ....
8. कैविटी/स्ट्रेनर ....
9. खसरा नं0 ....
10. बोरिंग प्रारम्भ करने की तिथि ....
11. बोरिंग पूर्ण होने की तिथि ....
12. बोरिंग का विवरण :-

क्र. सं.	सामग्री का विवरण	मात्रा	व्यय धनराशि रू0		
			विभाग द्वारा	कृषक द्वारा	योग
1	2मी. व्यास के पिट का कार्य (गहराई)	मीटर			
2	बोरिंग सेट/स्टाक सामग्री की ढुलाई	एक कार्य			
3	श्रमांश पक्का बोर	मीटर			
4	श्रमांश कच्चा बोर	मीटर			
5	प्रयुक्त सामग्री				
	(1)				
	(2)				
	(3)				
	(4)				
6	अन्य कार्य				
7	डेवलपमेन्ट				
8	विभागीय चार्ज	घंटा			
	योग :-				
	कन्टीजेन्सी 2%				
	कुल योग				

13- उपरोक्त बोरिंग कार्य मेरे द्वारा सम्पादित किया गया है। व्यय का विवरण सत्य है।

नाम- बोरिंग टेक्नीशियन/स0बो0टे0

ह0 बोरिंग टेक्नीशियन/ स0बो0टे0

14- प्रमाणित किया जाता है कि मेरी बोरिंग विकसन के उपरान्त पूर्णतया सफल है। दर्शाये गये कार्य एवं व्यय के विवरण से मै सहमत हूँ। अनुमन्य व्यय के अन्तर्गत मेरे द्वारा कराये गये कार्य हेतु मुझे मु0 .... रू0 प्राप्त हो गया है।

कृषक के हस्ताक्षर

15- बोरिंग का निरीक्षण मेरे द्वारा कर लिया गया है। बोरिंग सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

ह0 प्रधान
ग्राम पंचायत
....

ह0 अवर अभियन्ता,
लघु सिंचाई

प्रति हस्ताक्षरित
ह0 खण्ड विकास अधिकारी
विकास खण्ड ....

संलग्नक : 1

संख्या 4486 62-2-2004-2/2(6)/2004

प्रेषक,

अजय कुमार जोशी,
संयुक्त सचिव,
लघु सिंचाई,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

2- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ल0सिं0 एवं ग्रा0अभि0 सेवा अनुभाग-2 लखनऊःदिनांक 30 जुलाई, ,2004

विषयः- निःशुल्क बोरिंग योजना में सामान्य श्रेणी के कृषकों के चयन में न्यूनतम जोत सीमा 0.5 हे0 को शिथिल कर 0.2 हे0 किया जाना तथा पम्पसेट के क्रय में ऋण लेने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना एवं सीमान्त कृषकों के बोरिंग पर पम्पसेट की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 6267/62-2-2001-2/2(27)/99, दिनांक 16-12-2001 एवं शासनादेश संख्या 2213/62-2-2/2(42)/98 दिनांक 06 जून 2002 द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त शासनादेशों में दिये गये निर्देशों को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निम्न व्यवस्था की जाती है:-

(i) निःशुल्क बोरिंग योजना में सामान्य श्रेणी के कृषकों के लिये न्यूनतम जोत सीमा 0.5 हे0 के स्थान पर 0.2 हे0 रखी जाए जिससे कि सामान्य श्रेणी के सीमान्त कृषक इस योजना में अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें।

(ii) योजना में सामान्य श्रेणी के कृषकों को बोरिंग पर पम्पसेट स्थापित करने हेतु पम्पसेट के क्रय में बैंकों से ऋण लेने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाता है।

(iii) सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये वर्तमान में बोरिंग पर पम्पसेट लगाने की जो व्यवस्था की गई है उसे शिथिल कर निम्न व्यवस्था की जाती है:-

कृपया —— 2 पर

(ख) लघु कृषकों के लिये बोरिंग पर पम्पसेट स्थापित करना अनिवार्य रहेगा।
(ग) सीमान्त कृषकों के लिये पम्पसेट स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी।

2- उपर्युक्त सीमा तक शासनादेश दिनांक 16-12-2001 तथा शासनादेश दिनांक 6 जून, 2002 के प्राविधान संशोधित समझे जायेंगे।

3- उपर्युक्त आदेशों के प्रतिकूल यदि कोई निर्देश पूर्व में जारी किये गये हों तो उन्हें तात्कालिक प्रभाव से निरस्त समझा जाए।

4- कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

भवदीय,

(अजय कुमार जोशी)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 2486 (1)/62-2-2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
2- प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/राजस्व/संस्थागत वित्त, उ0प्र0 शासन।
3- कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त विभागाध्यक्ष।
4- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश।
9- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश।
10- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11- निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग, बी0के0टी0, लखनऊ।
12- समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश।
14- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16- अधीक्षण अभियन्ता/विषय विशेषज्ञ, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।
17- अधिशासी अभियन्ता (ल0सिं0), आपूर्ति खण्ड, लखनऊ।
18- निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश, स्टेशन रोड, लखनऊ।

आज्ञा से,

(ए0 के0 सिंह)
विशेष सचिव।

संलग्नक : 2.

संख्या-1067/62-2-2003-2/2(6)/2000

प्रेषक,

राम कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 13 मार्च, 2003

विषय : निःशुल्क बोरिंग योजना में अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के चयन में न्यूनतम जोत सीमा 0.5 हेक्टेयर के प्रतिबन्ध को समाप्त करने तथा अनुमन्य अनुदान रू0 5000/- को बढ़ाकर रू0 6000/- किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या- 6267-1/62-2-2001-2/2(27)/99, दिनांक 16 दिसम्बर, 2001 एवं संख्या - 2213/62-2-2/2(12)/98, दिनांक 06 जून, 2002 द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना के कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। शासन द्वारा समग्रता में विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त शासनादेशों में दिये गये निर्देशों के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के सम्बन्ध में तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय :-

1- योजनान्तर्गत कृषकों के चयन हेतु 0.5 हेक्टेयर से कम जोत वाले कृषकों की व्यक्तिगत बोरिंग न करने के प्रतिबन्ध को समाप्त कर दिया जाय तथा पनघरोट स्थापित करने की व्यवस्था एवं पनघरोट के क्रय में बैंक से ऋण लेने की बाध्यता को समाप्त कर इसे स्वैच्छिक कर दिया जाय।

2- योजनान्तर्गत कृषकों को वर्तमान में अनुमन्य अनुदान रू0 5000/- को बढ़ाकर रू0 6000/- कर दिया जाय।

उपर्युक्त के फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2001 तथा शासनादेश दिनांक 06 जून, 2002 के प्रतिभाग उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

उपर्युक्त आदेशों के प्रतिकूल यदि कोई तथ्य/निर्देश पूर्व में जारी है तो उन्हें तात्कालिक प्रभाव से निरस्त समझा जाये।

भवदीय,

(राम कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1067(1)/62-2-2003-272(6)/2000 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1- कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
2- ग्रामीण अवस्थापना आयुक्त, शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
3- प्रमुख सचिव/ सचिव वित्त/ नियोजन/ राजस्व/ संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4- कृषि उत्पादन आयुक्त तथा ग्रामीण अवस्थापना आयुक्त शाखा के समस्त विभागाध्यक्ष।
5- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
6- स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक, लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी ग्राम्य विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश।
10- निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/राज्य ग्राम विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश।
11- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12- निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग, बी0के0टी0, लखनऊ।
13- समस्त संयुक्त/उपविकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
14- समस्त अधीक्षण अभियन्ता/ अधिशासी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता(ल0सि0), उत्तर प्रदेश।
15- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
17- अधीक्षण अभियन्ता/निदेशक विशेषज्ञ, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।
18- अधिशासी अभियन्ता(ल0सि0) आपूर्ति खण्ड, लखनऊ।
19- निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उ0प्र0 स्टेशन रोड, लखनऊ।
20- गार्ड फाइल अनुभाग-2

आज्ञा से
(देव प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

R.S.

 संलग्नक: 3

संख्या: 3195/62-2-2005-2/2(6)/2004

प्रेषक,

अजय कुमार जोशी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ल0सिं0 एवं ग्रा0अभि0 सेवा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 30 दिसम्बर, 2005

विषय :- निःशुल्क बोरिंग योजना में सामान्य श्रेणी के लघु कृषकों हेतु पम्पसेट स्थापना की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या: 2485/62-2-2004-2/2(6)/2004, दिनांक 30 जुलाई, 2004 द्वारा की गई व्यवस्था के अनुक्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत सामान्य श्रेणी के लघु कृषकों के लिये भी बोरिंग पर पम्पसेट स्थापित किये जाने की अनिवार्यता समाप्त करते हुए इसे स्वैच्छिक किया जाता है। उक्त सन्दर्भित शासनादेश का प्रस्तर (iii)(अ) तदनुसार उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

2. उक्त क्रम में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत बगैर पम्पसेट वाली बोरिंग का दुरूपयोग न हो, को सुनिश्चित करने हेतु ऐसी बोरिंग के सत्यापन हेतु पृथक से निम्नानुसार मानक निर्धारित किये जाते है :-

(1)	जिलाधिकारी	एक प्रतिशत
(2)	मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी एवं परियोजना निदेशक	दो प्रतिशत
(3)	अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई एवं अन्य संस्थाओं के समकक्ष अधिकारी	पाँच प्रतिशत
(4)	अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई एवं अन्य संस्थाओं के समकक्ष अधिकारी	दस प्रतिशत
(5)	परगना/उप जिला अधिकारी	दो प्रतिशत

(6) सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई एवं अन्य संस्थाओं के नामित अधिकारी — [illegible]

(7) खण्ड विकास अधिकारी — दस प्रतिशत

(8) अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई — शत प्रतिशत

उपरोक्त सत्यापन के मानक पूर्व के शासनादेश संख्या: 22[illegible]3/62-2-272(42)/98, दिनांक 6 जून, 2002 द्वारा निर्धारित सत्यापन के मानकों के अतिरिक्त होंगे तथा मुख्य अभियन्ता द्वारा इसके अनुसार सत्यापित की गई बोरिंग का प्रत्येक माह जनपदवार विवरण अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी सहित शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

भवदीय

(अजय कुमार जोशी)
प्रमुख सचिव।

संख्या:3195(1)/62-2-2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
2. प्रमुख सचिव/सचिव वित्त/नियोजन/राजस्व/संस्थागत वित्त, उ0प्र0 शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त विभागाध्यक्ष।
4. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. अध्यक्ष उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सहकारी ग्राम्य विकास संस्थान उ0प्र0।
9. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0प्र0।
10. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग बी0के0टी0, लखनऊ।
12. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16. अधीक्षण अभियन्ता/ विषय विशेषज्ञ, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0।
17. अधिशासी अभियन्ता आपूर्ति खण्ड, लखनऊ।
18. निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उ0प्र0।
19. निजी सचिव, लघु सिंचाई मंत्री जी को मा0 लघु सिंचाई मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

आज्ञा से

(ए0 के0 चतुर्वेदी)
विशेष [illegible]

संलग्नक: 4

संख्याः 1183/62-2-2005-2/2(42)/98,टी.सी.

प्रेषक,

अजय कुमार जोशी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2-समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
3-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 29 मार्च, 2005

विषयः- जिला योजना के अन्तर्गत सामान्य जाति/अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों की बोरिंग हेतु निःशुल्क बोरिंग कार्यक्रम की रणनीति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-2213/62-2-2/2(42)/98, दिनांक 6 जून, 2002 के संदर्भ में पठारी क्षेत्रों में इनवेल/वैगन ड्रिल रिग मशीन से बोरिंग करने की अनुमति।

महोदय,

निःशुल्क बोरिंग योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में उपरोक्त वर्णित शासनादेश के प्रस्तर-9.4 में विभागीय बोरिंग टेक्नीशियन/सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के माध्यम से बोरिंग कराये जाने की व्यवस्था है जिसके कम में इस योजना के अन्तर्गत हैण्ड बोरिंग सेट से बोरिंग की जाती है। मुख्य अभियंता द्वारा शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में कई विकास खण्ड ऐसे हैं जहाँ हैण्ड बोरिंग सेट से बोरिंग किया जाना संभव नहीं होता है जिससे ऐसे क्षेत्रों के कृषक निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत लाभान्वित नहीं हो पाते हैं।

2- उक्त प्रकरण पर शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि संलग्नक में उल्लिखित पठारी विकास खण्डों में निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान से यदि कोई कृषक इनवेल अथवा वैगन ड्रिल रिग मशीन से बोरिंग कराना चाहता है तो विभाग द्वारा उसकी बोरिंग उक्त मशीनों से इस शर्त के साथ की जायेगी कि कृषक को अनुमन्य अनुदान की सीमा तक ही अनुदान प्राप्त होगा और अतिरिक्त व्ययभार कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

: 2 :

उपरोक्त व्यवस्था शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू होगी।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अजय कुमार जोशी)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1183 (1)/62-2-2005, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1- स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त सचिव।
3- प्रमुख सचिव/सचिव वित्त/नियोजन/राजस्व/संस्थागत वित्त उ0प्र0 शासन।
4- कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त विभागाध्यक्ष।
5- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
6- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7- राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, लखनऊ।
9- निदेशक, भूगर्भ जल/राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, लखनऊ।
10- निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग डी0के0डी0, लखनऊ।
11- समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
12- समस्त जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 राज्य सहकारी एवं ग्राम्य विकास बैंक, लखनऊ।
13- समस्त अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता/सहायक अभियंता, ल0सिं0 उ0प्र0।
14- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
15- समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16- अधिशासी अभियंता आपूर्ति खण्ड, लखनऊ।
17- निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, लखनऊ।
18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के0के0 मेहरोत्रा)
विशेष सचिव।

1. आ 71
19-1-91

संलग्नक : 5

सं० ... 0582 / 54-2 - 1227(9)/89

प्रेषक,

श्री अजय प्रकाश वर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झांसी/जालौन/हमीरपुर/बांदा/ललितपुर
महोबा/मुख्य, झांसी ।

क्षेत्रीय विकास अनुभाग- 2 लखनऊ: दिनांक:5 जनवरी, 1991

विषय:- [illegible] उत्पादन कार्यक्रम [illegible] की जा रही निःशुल्क [illegible] की सीमा में वृद्धि ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 1787/54-2-1230/89 टी.सी. 111, दिनांक 1-6-90 का कृपया संदर्भ लें ।

2. इस संबन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं [illegible] को दृष्टिगत रखते हुये संलग्न परिशिष्टानुसार अधिकतम रु० 76,000 निर्धारित की जा रही है । जनपदों के विकास खण्डों में उनके सम्मुख अंकित धनराशि ही व्यय की जाय ।

3. यह धनराशि समस्त श्रेणी के कृषकों यथा लघु/सीमान्त एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के लिये है ।

4. इस संबन्ध में आने वाला व्यय रु० 1,15,20,000 वर्तमान वित्तीय वर्ष 1990-91 की अनुदान संख्या: 13 के अधीन लेखा शीर्षक "2501-ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-आयोजनागत-01-एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन-बढ़ाने-हेतु-सहायता-[illegible] सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता" के नामे डाला जायेगा तथा लेखा शीर्षक "2702-लघु सिंचाई-80 [illegible]-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0105-लघु तथा सीमान्त कृषकों को [illegible] बढ़ाने हेतु सहायता-[illegible] सहायक अनुदान/[illegible]" [illegible] को पुनर्विनियोग करके [illegible] ।

72

कृपया अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-2096/दस-90, दिनांक-1-12-91 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि

भवदीय

(अजय प्रकाश वर्मा)
सचिव।

संख्या: 8562(1)/54-2-1299(93)/90, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अधीक्षण अभियन्ता (ल0सि0) वृत्त, झाँसी।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता (ल0सि0), झाँसी/हमीरपुर/बाँदा एवं ललितपुर।
5. उप विकास आयुक्त, झाँसी।
6. समस्त अपर जिलाधिकारी (विकास/परियोजना) एवं जिला विकास अधिकारी, झाँसी मंडल।
7. समस्त कोषाधिकारी, झाँसी मंडल।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर।

आज्ञा से

(शालिनी [illegible])
संयुक्त सचिव।

79

शासनादेश संख्या: 0582/54-2-12991931/90, दिनांक 8-1-90 का संलग्नक

क्रमांक	जनपद का नाम	विकास खण्डों का नाम	बोरिंग की किस्म	निर्धारित सीमा
1.	झांसी	1. बड़ागांव	कैविटी	6500.00
		2. चिरगांव	,,	6500.00
		3. मोठ	,,	7000.00
		4. बंगरा	,,	7000.00
		5. मऊरानीपुर	,,	7000.00
		6. गुरसरांय	,,	7000.00
		7. बामौर	,,	7000.00
2.	बांदा	1. बड़ोखर खुर्द	कैविटी	6000.00
		2. तिंदवारी	कैविटी/स्ट्रेनर	6000.00
		3. जसपुरा	,,	6000.00
		4. नरैनी	कैविटी	6000.00
		5. महुआ	,,	4500.00
		6. बबेरू	,,	6000.00
		7. बिसंडा	,,	6000.00
		8. कमासिन	,,	6000.00
		9. कर्वी	,,	4500.00
		10. पहाड़ी	,,	6000.00
		11. रामनगर	,,	6000.00
3.	जालौन	1. डकोर	कैविटी	7000.00
		2. कदौरा	,,	7000.00
		3. महेवा	,,	7000.00
		4. जालौन	,,	6500.00
		5. माधौगढ़	,,	7000.00
		6. रामपुरा	,,	7000.00
		7. कुठौंद	,,	6500.00
		8. नदीगांव	,,	6500.00
		9. कोंच	,,	6500.00
4.	हमीरपुर	1. कुरारा	कैविटी	7000.00
		2. सुमेरपुर	,,	7000.00
		3. मौदहा	,,	7000.00
		4. मुस्करा	,,	4500.00
		5. राठ	,,	4500.00
		6. गोहाण्ड	,,	4500.00
		7. सरीला	,,	7000.00
		8. पनवाड़ी	,,	4500.00

(signature) 5/1/90

(शार्ङ्गधर [illegible])
संयुक्त सचिव ।

संलग्नक : 6

संख्या: 367/62-2-2004-2(4)/2004

प्रेषक,

अजय कुमार जोशी
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता
लघु सिंचाई विभाग
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ल0सिं0 एवं ग्रा0 अभि0 सेवा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: अगस्त, 2004

विषय:- निजी लघु सिंचाई अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता (निःशुल्क बोरिंग) को वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी लघु सिंचाई-लघु एवं सीमान्त कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु सहायता (निःशुल्क बोरिंग) को शासन द्वारा जनपदवार धनराशि के आवंटन के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां प्राप्त होने के पश्चात संबन्धित अधिशासी अभियंता द्वारा धनराशि के आहरण हेतु मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई से साख सीमा जारी करने का अनुरोध किया जाता है तथा मुख्य अभियंता कार्यालय में पदस्थ वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा साख सीमा जारी की जाती है।

2. निःशुल्क बोरिंग योजना के लिये वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां निर्गत करने की उपर्युक्त वर्तमान व्यवस्था एक लम्बी एवं जटिल प्रक्रिया है जिसके कारण प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है जिससे इस महत्वपूर्ण योजना का पूर्ण लाभ प्रदेश के कृषकों को नहीं मिल पा रहा है। अतः इस विषय में सम्यक विचारोपरान्त निःशुल्क बोरिंग योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रकार सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(क) शासन द्वारा अधिशासी अभियंता (ल0सिं0) को खण्डवार बजट आवंटन सूचित करने के साथ ही प्रश्नगत कार्य/कार्यों के लिये नियमानुसार वित्तीय स्वीकृतियां भी जारी की जायेंगी।

(ख) उक्त उप प्रस्तर (क) के अनुसार संसूचित बजट आवंटन/जारी वित्तीय स्वीकृति के आधार पर मुख्य अभियंता कार्यालय के

2/--

वित्त एवं लेखाधिकारी द्वारा तत्परता से सी०सी०एल० निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा० संख्या: यू०ओ० ए-2-236/दस-04, दिनांक 20-7-2004 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(अजय कुमार जोशी)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 367 (1)/62-2-2004, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन ।
2. आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, समाज कल्याण उत्तर प्रदेश शासन ।
3. प्रमुख सचिव, वित्त उत्तर प्रदेश शासन ।
4. प्रमुख सचिव, नियोजन उ0प्र0 शासन को उनके अशा० पत्र सं0- 9/4/35-आ-2/99-40, दिनांक 10 अगस्त, 2000 के क्रम में ।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
6. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन ।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
8. समस्त जिला एवं अर्थ संख्या अधिकारी उत्तर प्रदेश ।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग 2/3, वित्त लेखा अनुभाग-2

आज्ञा से

(ए0 के0 सिंह राठौर)
विशेष सचिव ।

संख्या: 367 (11)/62-2-2004, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से

(ए0 के0 सिंह राठौर)
विशेष सचिव ।

(7) (2)

संलग्नक:7

प्रेषक,

डा0 ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या 6257-1/82-2-2001-2/2(27)/89

सेवा में,

1. मुख्य अभियन्ता,
   लघु सिंचाई विभाग
   उ0प्र0, लखनऊ।

2. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।

3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

लघु सि0 एवं ग्रा0अभि0 सेवा अनुभाग-2

लखनऊ दिनॉक 16, दिसम्बर, 2001

विषय :- निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत बोरिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 3486/82-2-2001-2/2(42)/98, दिनॉक 15-9-2001 एवं संख्या 3486(1)/82-2-2001-2/2(42)/98, दिनॉक 15-9-2001 द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त शासनादेश में दिये गये दिशा-निर्देश के अतिरिक्त निम्न निर्देशों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

1) निःशुल्क बोरिंग योजना से सम्बन्धित मुख्य नियम, प्राविधान/नियमावली को लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत की भवन की दीवार पर प्रदर्शित किया जाये।

2) विभाग के बोरिंग टैक्नीशियन द्वारा ग्रामवार एक रजिस्टर बनाया जाए जिसमें यह उल्लेख किया जाए कि सिंचाई के समबन्ध में वर्षवार किस-किस कृषक की किस-किस योजना में क्या-क्या सुविधायें प्राप्त हुई हैं। रजिस्टर का प्रारूप मुख्य अभियन्ता (ल0सि0) द्वारा अलग से सूचित किया जायेगा। इस रजिस्टर को ग्राम सभा की जल संसाधन समिति को उपलब्ध

कराया जाए। जल संसाधन समिति लाभार्थी का चयन करने से पहले यह देख लें लाभार्थी को किसी योजना में पूर्व में लाभान्वित किया गया है अथवा नहीं। ग्रामसभा की जल संसाधन समितियों की बैठक में बोरिंग टेक्नीशियन अनिवार्य रूप से भाग लेंगें।

3) बोरिंग प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित कृषक, ग्राम प्रधान/जल संसाधन समिति के अध्यक्ष को यह अवगत कराने की व्यवस्था की जाये कि किस दिन बोरिंग प्रारम्भ की जायेगी। यह व्यवस्था भी की जाये कि जिस दिन बोरिंग प्रारम्भ हो उस दिन ग्राम में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित हो, जिसमें लाभार्थी, ग्राम प्रधान, जल प्रबन्धन समिति के सदस्य तथा अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहें। साथ ही बोरिंग पूर्ण होने पर बोरिंग स्थल पर एक पट्टी लगाने की भी व्यवस्था की जाये जिसमें यह उल्लेख हो कि किस लाभार्थी की बोरिंग हुई और कितना व्यय हुआ तथा किस बोरिंग टेक्नीशियन/अवर अभियन्ता ने बोरिंग कराई है। उपरोक्त विवरण से सम्बन्धित पट्टी पम्प हाउस/सम्प हाउस की दीवार पर लगाई जाए। इस मद में व्यय निःशुल्क बोरिंग कन्टीजेन्सी से किया जायेगा। पट्टी की साइज व व्यय की सीमा का निर्धारण मुख्य अभियन्ता (ल0रि0) द्वारा अलग से किया जायेगा।

4) ग्राम स्तर पर कुल निर्मित बोरिंग की गणना कराकर प्रत्येक कृषक की बोरिंग की नम्बरिंग करते हुए प्रस्तर–1–(2) के रजिस्टर में उसका विवरण रखा जाए और इसकी सूचना कृषक, ग्राम पंचायत एवं जल संसाधन समिति को उपलब्ध कराया जाये।

5) योजना के अन्तर्गत निर्मित कार्यों का सत्यापन ग्राम पंचायत की जल संसाधन समिति द्वारा समय–समय पर किया जाएगा। अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा बोरिंग पूर्ण होने पर इसकी सूचना ग्राम प्रधान एवं जल संसाधन समिति को देगें तथा जल संसाधन समिति के अध्यक्ष के समक्ष बोरिंग चला कर रूप पत्र–4 पर उनसे यह प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाए कि बोरिंग सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

6) निःशुल्क बोरिंग योजना में पी.वी.सी. पाइप व अन्य सामग्री के क्रय की संशोधित व्यवस्था के सम्बन्ध में अलग से प्रस्ताव विचाराधीन है, तब तक वर्तमान व्यवस्था लागू रखी जाये।

7) निःशुल्क बोरिंग योजना में डुप्लीकेसी की सम्भावना को रोकने हेतु, खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अन्य योजनाओं में बोरिंग हेतु चयनित लाभार्थी की सूची प्रत्येक माह में सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को उपलब्ध कराई जाएगी। लघु सिंचाई विभाग की निःशुल्क बोरिंग योजना में बोरिंग की स्वीकृति के उपरान्त अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई द्वारा सम्बन्धित बोरिंग टैक्नीशियन को कृषकों की सूची उपलब्ध कराई जाएगी जिसके अनुसार बोरिंग टैक्नीशियन समयबद्ध कार्यक्रम बनाकर बोरिंग कार्य पूर्ण करायेंगे। जिन मामलों में मजदूरी का भुगतान अनुमन्य अनुदान से किया जाना हो, उसके सम्बन्ध में बोरिंग प्रारम्भ करने से पूर्व लघु सिंचाई विभाग द्वारा बोरिंग टैक्नीशियन को मस्टर रोल उपलब्ध कराया जाएगा।

8) योजना में भविष्य में 0.5 हे0 से कम जोत वाले कृषकों की व्यक्तिगत बोरिंग न की जाये। 0.5 हे0 से कम जोत वाले कृषकों को प्रत्येक वर्ष के प्रारम्भ में चिन्हित कर न्यूनतम चार या पाँच कृषकों का समूह बनाया जाये और समूह बनने तथा उसके प्रभावी रूप से सक्रिय होने के उपरान्त समूह के लिये एक बोरिंग निर्मित की जाये। उक्त हेतु स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना अथवा अन्य योजनाओं में पूर्व से गठित स्वयं सहायता समूहों का उपयोग भी किया जा सकता है। समूह बनाने की विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण मुख्य अभियन्ता (ल0सि0) द्वारा अलग से किया जायेगा।

9) योजना के अन्तर्गत कृषक द्वारा स्थापित किये गये पम्पसेट के सत्यापन की सूचना ऋण हेतु पत्रावली बनाने वाले बहुउद्देशीय कर्मी/ग्राम विकास अधिकारी अथवा अन्य अधिकारी द्वारा ऋण वितरण होने के एक माह के अन्दर खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित करेंगे। इस सूचना में जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष एवं ग्राम प्रधान का प्रमाण-पत्र भी अंकित होगा जिसके लिए प्रारूप पत्र का निर्धारण मुख्य अभियन्ता (ल0सि0) द्वारा अलग से किया जाएगा। खण्ड विकास अधिकारी इस सूचना को सम्बन्धित बैंक एवं सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को प्रत्येक माह में प्रेषित करेंगे और यदि ऋण स्वीकृत होने के तीन माह के अन्दर कृषक द्वारा पम्पसेट स्थापित नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित बैंक द्वारा कृषक से रिकवरी करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था भी की

जाये कि कृषक का पम्पसेट, ऋण की सम्पूर्ण रिकवरी होने तक बन्धक रखेगा और इस अवधि में पम्पसेट बेचा जाना पूर्णतः प्रतिषिद्ध रहेगा। पम्पसेट की स्थापना प्रमाण-पत्र देने की जिम्मेदारी पत्रावली बनाने वाले कर्मचारी की होगी जिसका प्रमाण-पत्र अवर अभियन्ता लघु सिंचाई व खण्ड विकास अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर से बैंक व सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई को भेजा जायेगा।

10) योजना के अन्तर्गत पूर्व के समस्त रूप-पत्रों को निरस्त करते हुए संलग्न रूप-पत्र-1, 2, 3(अ), 3(ब), 3(स) तथा रूप-पत्र-4 के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पन्न की जाएगी।

11) निःशुल्क बोरिंग योजना में कृषक को अनुमन्य अनुदान में से बोरिंग टेक्नीशियन/सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का वेतन भत्ता आदि काटने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। भविष्य में कृषक की अनुमन्य धनराशि से बोरिंग सेट का किराया ही काटकर राजस्व में जमा किया जायेगा। बोरिंग सेट के किराये (डिप्रीसियेशन) की दरें समय-समय पर मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई द्वारा निर्धारित की जायेंगी।

उपरोक्त आदेशों के प्रतिकूल यदि कोई तथ्य/निर्देश पूर्व में जारी स्ट्रेटजी में हैं तो उसे निरस्त समझा जाये।

संलग्नक :- यथोक्त।

भवदीय

(डा० ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्या (1)/62-2-2001-2/12(40)/98, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, शाखा के समस्त सचिव।
2. प्रमुख सचिव/सचिव वित्त/नियोजन/राजस्व/संस्थागत वित्त, उ0प्र0 शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त विभागाध्यक्ष।
4. प्रमुख्य सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
5. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से

(जितेन्द्र विष्णु)
विशेष सचिव।

(1)/62-2-2001-2/12(10)/98, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंक, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सहकारी ग्राम्य विकास बैंक, लखनऊ।
4. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ0प्र0।
5. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
6. निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग, बी0के0टी0, लखनऊ।
7. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उ0प्र0।
8. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता (ल0सि0), उ0प्र0।
9. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
10. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, उ0प्र0।
11. अधीक्षण अभियन्ता/विषय विशेषज्ञ, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ।
12. अधिशासी अभियन्ता (ल0सि0) आपूर्ति खण्ड, लखनऊ।
13. निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय उ0प्र0, स्टेशन रोड, लखनऊ।
14. गार्ड फाइल अनुभाग–2.

आज्ञा से

(जितेन्द्र विष्णु)
विशेष सचिव।

संख्या: 284/62-2-98-2/2(23)/97 **संलग्नक: 8**

प्रेषक,

राम आसरे तिवारी
कृषि उत्पादन आयुक्त
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मुख्य अभियन्ता
लघु सिंचाई विभाग
उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी

लघु सिंचाई एवं ग्रा0 अभि0 सेवा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 13 फरवरी 1998

विषय:- निःशुल्क बोरिंग योजना के पी0 प्लान एवं स्ट्रेटजी सम्बन्धी शासनादेश सं0 2148/62-2-96, दिनांक 10 मई, 96, संख्या 2117/62-2-96, दिनांक 10 मई 96, संख्या ...62-2-97, दिनांक 13-11-97 शासनादेश सं0 1094/ दिनांक 13-11-97 तथा सं0 1095/62-2-97, दिनांक 13-11-97 में संशोधन

महोदय,

निःशुल्क बोरिंग योजना में कतिपय कारणों से पी0वी0सी0 पाइप की आपूर्ति बाधित रही है। वर्तमान में भी दर अनुबन्ध को अन्तिम रूप दिये जाने में आ रही कतिपय कठिनाईयों के कारण निकट भविष्य में दर अनुबन्ध के माध्यम से पी0वी0सी0 पाइप का क्रय सम्भव नहीं प्रतीत हो रहा है। ऐसी स्थिति में निःशुल्क बोरिंग योजना के सुचारु संचालन हेतु पी0वी0सी0 पाइप एवं फिटिंग्स की अन्तरिम व्यवस्था के रूप में निम्न आदेश निर्गत किये जा रहे हैं :-

(1) निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत पी0वी0सी0 पाइप से निर्मित बोरिंग हेतु पी0वी0सी0 पाइप एवं फिटिंग्स की व्यवस्था कृषक/लाभार्थी द्वारा स्वयं की जायेगी। कृषक, विभाग द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशनों की आई0एस0आई0 मार्क सामग्री स्वयं क्रय करेगा तथा इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी :-

(अ) बोरिंग निर्माण हेतु सामग्री क्रय के अनुदान का प्रार्थना पत्र जिसके साथ निम्न प्रपत्र संलग्न हों, कृषक द्वारा सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा :- (क एवं ख)

(1) प्रार्थना पत्र एवं अनुबन्ध पत्र संलग्न रूप पत्र-5 पर दिया जायेगा।

(2) पी0वी0सी0 पाइप विक्रेता फर्म के डीलर द्वारा दिया गया कैशमेमो बिल तथा बिल आफ वारन्टी संलग्न रूप पत्र-8 पर दी जाय।

(3) सम्बन्धित कृषक के नाम खतौनी की प्रमाणित प्रति।

2/--

(ग) कृषक द्वारा उपरोक्तानुसार पूर्ण प्रार्थना पत्र तीन प्रतियों में खण्ड विकास अधिकारी को दिया जायेगा तथा खण्ड विकास अधिकारी निर्धारित रूप पत्र-7 पर स० अभियंता(लघु सिंचाई) की आख्या/संस्तुति प्राप्त कर अपनी संस्तुति सहित उसे सहायक अभियंता(लघु सिंचाई) को भेजेंगे।

(घ) सहायक अभियंता(लघु सिंचाई), योजना के विभिन्न प्राविधानों के अनुरूप अनुमन्यता को दृष्टिगत रखते हुये, सामग्री क्रय हेतु रूप पत्र-8 पर अनुदान की स्वीकृति प्रदान करेंगे। इस स्वीकृति की प्रति संबन्धित कृषक, खण्ड विकास अधिकारी तथा सामग्री की व्यवस्था करने वाले डीलर को दी जायेगी। सामग्री क्रय हेतु स्वीकृत की जाने वाली धनराशि की गणना सहायक अभियंता(लघु सिंचाई) कुल अनुमन्य अनुदान में से विभागीय बोरिंग सेट तथा बोरिंग टेक्नीशियन के पारिश्रमिक, मजदूरी की लागत घटाकर करेंगे। इस प्रकार जो धनराशि होगी वह सामग्री क्रय हेतु स्वीकृत कर दी जायेगी। यदि सामग्री क्रय पर व्यय होने वाली धनराशि के उपरान्त भी कुछ धनराशि बचती है तो वह विभाग द्वारा डेवलपमेन्ट इत्यादि पर व्यय की जायेगी। अन्यथा स्थिति में डेवलपमेन्ट पर व्यय होने वाला व्यय तथा सामग्री क्रय पर अनुमन्य धनराशि से अधिक होने वाला व्यय कृषक द्वारा वहन किया जायेगा।

(ङ) उक्त के उपरान्त डीलर द्वारा कृषक को सामग्री उपलब्ध कराया जायेगा। सामग्री उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त स० अभियंता(लघु सिंचाई) द्वारा विभागीय निर्देशों के अनुसार 15 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से बोरिंग कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। बोरिंग टेक्नीशियन बोरिंग करने से पूर्व सामग्रियों का निरीक्षण करें इनका आई०एस०आई० मार्क का होना सुनिश्चित करेंगे तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र में इसका अंकन भी करेंगे। बोरिंग पूर्ण होने के उपरान्त स० अभियंता(लघु सिंचाई) कृषक को सामग्री क्रय हेतु स्वीकृत की गई धनराशि के भुगतान के लिये रूप पत्र-9 पर अपनी संस्तुति देंगे।

(च) सहायक अभियंता(लघु सिंचाई) द्वारा उपरोक्त संस्तुति पर वास्तविक अनुमन्य अनुदान का चेक संबन्धित कृषक को बोरिंग पूर्ण होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा जो धनराशि का भुगतान सम्बन्धित फर्म/डीलर को करेगा।

2- उपरोक्त संदर्भित शासनादेश संख्या: 2117/62-2-96, दिनांक 10 मई, 1996 का प्रस्तर-6, शासनादेश सं० 2118/62-2-96, दिनांक 10 मई, 96 का प्रस्तर-7, शासनादेश सं० 1694/62-2-97, दिनांक 13-11-97 तथा शासनादेश

3/--

संख्या: 1695/62-2-97, दिनांक 13-11-97 के प्रस्तर-8 उपरोक्त सीमा तक संशोधित माने जायेंगे तथा एम0एस0 पंजाब से निर्मित की जाने वाली बोरिंग हेतु सामग्री व्यवस्था के प्राविधान पूर्ववत रहेंगे। उक्त व्यवस्था एक अन्तरिम एवं अल्पकालीन व्यवस्था के रूप में है और जब लघु सिंचाई विभाग द्वारा स्वयं के लिए कोई व्यवस्था कर ली जायेगी तो इस पर पुनः विचार किया जायेगा।

संलग्नक:- यथा पत्र 5 से 9

भवदीय,
(सन्त कुमार त्रिपाठी)
कृषि उत्पादन आयुक्त।

संख्या: 284(1)/62-2-98, तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त सचिव।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/राजस्व/संस्थागत वित्त, उ0प्र0 शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त विभागाध्यक्ष।
4. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,
(अजय कुमार जोशी)
सचिव।

संख्या: 284(1)/62-2-98, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य सहकारी एवं ग्राम्य विकास बैंक, लखनऊ।
3. निदेशक भूगर्भ जल विभाग/राज्य ग्राम्य विकास संस्थान उ0प्र0।
4. समस्त मंडलायुक्त/उप विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई आपूर्ति खण्ड, लखनऊ।
8. विधि विशेषज्ञ, लघु सिंचाई प्रकोष्ठ 3 ए राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

आज्ञा से,
(नरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

संख्या: 3096/62-2-98-2/2(23)/97 **संलग्नक: 9**

प्रेषक,

अजय कुमार जोशी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. मुख्य अभियंता
लघु सिंचाई विभाग
उ०प्र०, लखनऊ ।
2. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

ल०सिं० एवं ग्रा० अभि० सेवा अनुभाग-2   लखनऊ: दिनांक: 16 अप्रैल, 1998

विषय:- नि:शुल्क बोरिंग योजना के पर्स प्लान एवं स्ट्रेटजी संबन्धी शासनादेश संख्या: 284/62-2-98-2/2(23)/97, दिनांक 13-2-98 के प्रस्तर 1(थ) में आंशिक संशोधन ।

महोदय,

उक्त शासनादेश के प्रस्तर 1(थ) में यह व्यवस्था है कि सामग्री क्रय हेतु अनुदान का चेक, बोरिंग पूर्ण होने के उपरान्त कृषक के नाम निर्गत किया जायेगा एवं कृषक सामग्री पर हुये व्यय का भुगतान संबन्धित फर्म/डीलर को करेगा । इस व्यवस्था के संबन्ध में मुख्य अभियंता (ल०सिं०) विभाग ने पत्रांक 512/ल०सिं०/कार्य-6/वर्कप्लान/98, दिनांक 31 मार्च, 98 द्वारा यह अवगत कराया है कि डीलर, कृषक को उपरोक्त व्यवस्थानुसार पाइप उपलब्ध कराने में सहमत नहीं है क्यों कि वे तत्परता से अपने भुगतान के प्रति आश्वस्त नहीं है । अत: उक्त समस्या के समाधान हेतु उक्त संदर्भित शासनादेश के प्रस्तर 1(थ) में आंशिक संशोधन करते हुये निम्न व्यवस्था की जाती है :-

1. अनुमन्य अनुदान का चेक संबन्धित कृषक के नाम निर्गत किया जायेगा तथा संबन्धित कृषक द्वारा चेक को सहायक अभियंता/खण्ड विकास अधिकारी के समक्ष संबन्धित डीलर/फर्म के नाम इनडोर्स करते हुये संबन्धित फर्म/डीलर को उपलब्ध कराया जायेगा अथवा लघु सिंचाई विभाग द्वारा बोरिंग पूर्ण होने के उपरान्त कृषक से अधिकार पत्र प्राप्त कर संबन्धित डीलर/फर्म को सीधे भुगतान किया जायेगा । भुगतान हेतु दोनो व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था चुनने के लिये कृषक/लाभार्थी स्वतंत्र होंगे ।

2/--

2. उक्त के सम्बन्ध में यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि फर्म/डीलर द्वारा कृषक/लाभार्थी को सामग्री उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रत्येक दशा में 15 दिन के अन्दर बोरिंग पूर्ण कर दी जाये तथा बोरिंग निर्मित होने के 15 दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से सम्बन्धित फर्म/डीलर को भुगतान कर दिया जाय।

भवदीय

(अजय कुमार जोशी)
सचिव।

संख्या: 3096(1)/62-2-98, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त सचिव।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/राजस्व/संस्थागत वित्त उत्तर प्रदेश शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त विभागाध्यक्ष।
4. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
5. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
6. राहत आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से

(अजय कुमार जोशी)
सचिव।

संख्या: 3096(11)/62-2-98, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0 राज्य/सहकारी एवं ग्राम्य विकास बैंक उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक भूगर्भ जल विभाग/राज्य ग्राम्य विकास संस्थान उ0प्र0।
4. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त उ0प्र0।
5. समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. अधिशासी अभियंता, आपदा खण्ड, लखनऊ।
8. विषय विशेषज्ञ ल0सि0 प्रकोष्ठ 5ए राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

आज्ञा से

(अजय कुमार जोशी)
सचिव।

संलग्नक : 10

संख्या : 3251/62-2-98-2/2(23)/97

प्रेषक,

अजय कुमार जोशी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. मुख्य अभियंता
लघु सिंचाई विभाग
उ0प्र0, लखनऊ ।

2. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश ।

3. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

ल0सिं0 एवं ग्रा0 अभि0 सेवा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 29 अप्रैल, 1998

विषय:- नि:शुल्क बोरिंग योजना के वर्क प्लान एवं स्टेटजी के शासनादेश सं0 284/62-2-98-2/2(23)/97, दिनांक 13-2-98 में दी गई व्यवस्था के अनुसार सामग्री क्रय अनुदान स्वीकृत करने हेतु पी0वी0सी0 पाइप द्वारा निर्मित सामग्रियों की अधिकतम दर सीमा के निर्धारण हेतु समिति का गठन ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश में यह व्यवस्था की गई है कि पी0वी0सी0 पाइप से निर्मित होने वाली बोरिंग हेतु कृषकों द्वारा सामग्री की व्यवस्था स्वंय की जायेगी तथा सामग्री क्रय हेतु अनुदान की स्वीकृति कृषक द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न रूप पत्र-6 में पी0वी0सी0 पाइप के डीलर/फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये, बिल आफ क्वान्टिटी के आधार पर सहायक अभियंता (ल0सिं0) द्वारा रूप पत्र-8 पर दी जायेगी । इस व्यवस्था में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा सामग्री क्रय हेतु अनुदान स्वीकृत करने में यह कठिनाई बतायी गई कि खुले बाजार में विभिन्न फर्मों का पी0वी0सी0 पाइप एंव अन्य सामग्री उपलब्ध है जिनकी दरें भिन्न-भिन्न हैं और सामग्रियों की अधिकतम दरें निर्धारित न होने के कारण यह संभावना है कि पी0वी0सी0 पाइप के डीलर/फर्म अपनी इच्छानुसार सामग्रियों की दरें दर्शायेंगे जिससे सामग्री क्रय हेतु स्वीकृत किये गये अनुदान में एकरूपता नहीं रहेगी ।

2. अत: उक्त के संबन्ध में पी0वी0सी0 पाइप तथा अन्य सामग्रियों का अनुदान स्वीकृत करने हेतु इनकी अधिकतम दर सीमा निर्धारित करने के लिये प्रत्येक जनपद में निम्नानुसार समिति गठित की जाती है :-

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी परियोजना	सदस्य
3. अधिशासी अभियंता (ल0सिं0)	संयोजक

3/--

4. अधिशासी अभियंता, नलकूप खण्ड सिंचाई विभाग — सदस्य

5. जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य दो अधिकारी — सदस्य

3. उपरोक्त समिति प्रत्येक तीन माह में मार्केट का सर्वेक्षण करेगी और सर्वेक्षण के आधार पर निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत पी0वी0सी0 पाइप से निर्मित होने वाली बोरिंग हेतु निर्धारित विशिष्टयों के पीवीसी पाइप एवं अन्य सामग्रियों की अधिकतम दर सीमा निर्धारित करेगी।

4. सामग्री क्रय हेतु अनुदान की स्वीकृति उपरोक्त समिति द्वारा निर्धारित की गई अधिकतम दर सीमाओं अथवा कृषक द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये गये बिल आफ क्वान्टिटी में दर्शायी गई दरों में से जो भी दरें कम होंगी, के आधार पर की जायेगी।

भवदीय

(अजय कुमार जोशी)
सचिव।

संख्या: 3251 (1)/62-2-98, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त सचिव।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/राजस्व/संस्थागत वित्त उ0प्र0
3. कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त विभागाध्यक्ष।
4. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से

(अजय कुमार जोशी)
सचिव।

संख्या: 3251 (1)/62-2-98, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, राज्य सहकारी एवं ग्राम्य विकास बैंक, लखनऊ।
3. निदेशक, भूगर्भ जल विभाग/राज्य ग्राम्य विकास संस्थान उ0प्र0।
4. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियंता (लघु सिंचाई), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. अधिशासी अभियंता, आपूर्ति खण्ड, लखनऊ।
8. विषय विशेषज्ञ, ल0सिं0 प्रकोष्ठ राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

आज्ञा से

(नरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

संलग्नक : 11

संख्या : 3253/62-2-98-2/2(23)/97

प्रेषक,

अनूप कुमार जोशी
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. मुख्य अभियंता
लघु सिंचाई विभाग
उ0प्र0, लखनऊ ।

2. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश ।

3. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

ल0सिं0 एवं ग्रा0 अभि0 सेवा, अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 23 अप्रैल, 1998

विषय :- निःशुल्क बोरिंग योजना के वर्क प्लान एवं स्ट्रेटजी के शासनादेश सं0 284/62-2-98-2/2(23)/97 दिनांक 13-2-98 में की गयी व्यवस्था में संशोधन करते हुए सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों को सामग्री क्रय हेतु मजदूरी के अंश से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश के प्रस्तर (स) में यह व्यवस्था है कि सहायक अभियंता, लघु सिंचाई योजना के विभिन्न प्राविधानों के अनुरूप अनुमन्यता को दृष्टिगत रखते हुये सामग्री क्रय हेतु रूप पत्र-8 पर अनुदान की स्वीकृति प्रदान करेंगे तथा सामग्री क्रय हेतु अनुदान की गणना कुल अनुमन्य अनुदान में से विभागी बोरिंग सेट, बोरिंग टेक्नीशियन के चार्जेज एवं मजदूरी की लागत काट कर की जायेगी । इस व्यवस्था में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा यह कठिनाई बताई गई कि अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को सामग्री क्रय हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो पा रही है क्यों कि उन्हें बोरिंग निर्माण के लिये रू0 5000/- का अनुदान अनुमन्य है, किन्तु सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषक जिन्हें रू0 3000/- एवं 4000/- का ही अनुदान बोरिंग निर्माण हेतु अनुमन्य है, को सामग्री क्रय हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं हो पा रही है और यह समस्या उन क्षेत्रों में और अधिक बढ़ जाती है जहां पर बोरिंग की गहराई 20 मीटर से अधिक है ।

2. अतः उक्त समस्या पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है :-

कृषकों/लाभार्थी द्वारा लिखित रूप से बोरिंग निर्माण हेतु मजदूरी पर होने वाला व्यय पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से स्वयं वहन करने की सहमति

पत्र दिये जाने की स्थिति में उपरोक्त संदर्भित शासनादेश के रूप पत्र-8 के बिन्दु में दर्शाये गये मजदूरी पर होने वाले व्यय से अतिरिक्त धनराशि, सामग्री आदि हेतु अनुदान के रूप में, रूप पत्र-8 के बिन्दु-3 द्वारा स्वीकृत अनुदान के अतिरिक्त कृषक/लाभार्थी को उपलब्ध करा दी जाये ।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र करने का कष्ट करें ।

भवदीय

(अजय कुमार जोशी)
सचिव ।

संख्या: 3253 (1)/62-2-98, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त सचिव ।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/राजस्व/संस्थागत वित्त उ0प्र0 शासन ।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त विभागाध्यक्ष ।
4. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश ।
5. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।
6. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से

(अजय कुमार जोशी)
सचिव ।

संख्या: (1)/62-2-98, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद, उ0प्र0, लखनऊ ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सहकारी एवं ग्राम्य विकास बैंक, लखनऊ ।
3. निदेशक, भूमि जल विभाग/राज्य ग्राम्य विकास संस्थान उ0प्र0 ।
4. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, लघु सि0 उ0प्र0 ।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7. अधिशासी अभियंता आपूर्ति खण्ड, लखनऊ ।
8. विभाग विशेषज्ञ, लघु सिंचाई प्रकोष्ठ राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ ।

आज्ञा से

(नरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव ।

संलग्नक: 12

संख्याः 5433/62-2-2000-2/12(09)/70

प्रेषक,

अखिल कुमार जोशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. मुख्य अभियंता,
   लघु सिंचाई विभाग,
   उ०प्र०, लखनऊ।
2. नोडल अधिकारी,
   अनुश्रवण एवं कार्यक्रम, लघु सिंचाई,
   उ०प्र०, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

लघु सिंचाई एवं ग्रा० अभि० सेवा अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 22 नवम्बर, 2000

विषय:- निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत कृषकों द्वारा क्रय किये जा रहे पी०वी०सी० पाइप एवं फिटिंग्स की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भ में निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-3252/62-2-98-2/2(23)/97, दिनांक 23-4-98 द्वारा कृषकों/लाभार्थियों द्वारा निर्धारित विशिष्टियों की आई०एस०आई० मार्क सामग्री स्वयं क्रय करने की व्यवस्था के अन्तर्गत कृषकों द्वारा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये संशोधित रूप पत्र-7 संलग्न कर प्रसारित किया गया था।

2. उपरोक्त सम्बन्ध में दिनांक 23-9-2000 को लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल विभाग की नीति निर्धारण प्रकोष्ठ की बैठक में शासन के समक्ष यह बिन्दु संज्ञान में लाया गया कि निःशुल्क बोरिंग योजना में कदाचित निर्धारित विशिष्ट का आई०एस०आई० मार्क पाइप प्रयुक्त नहीं हो रहा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः दुकानदार के पास निर्धारित मानक का पाइप उपलब्ध ही नहीं है। यदि ऐसा है तो यह स्थिति कदापि संतोषजनक नहीं है और निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत प्रयुक्त हो रहे पी०वी०सी० पाइप एवं फिटिंग्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु वर्तमान व्यवस्था को और सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

2/--

3. अतः उपरोक्त संदर्भ में सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्देश निर्गत किये जाते हैं :-

(1) कृषकों द्वारा क्रय किये गये पाइप एवं फिटिंग्स पर आई०एस०आई० मार्क की विशेष रूप से जांच की जाय और आई०एस०आई० मार्क होने पर ही भुगतान किया जाय । आई०एस०आई० मार्क का विवरण निम्न है :-
" आई०एस०आई० मार्क में एक बाक्स के अन्तर्गत अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आई०एस०आई० लिखा रहता है तथा बाक्स के ऊपर आई०एस०आई० नम्बर और बाक्स के नीचे लाइसेन्स नम्बर या सी०एम०एल० नम्बर लिखे रहते हैं । इसके अतिरिक्त पी०वी०सी० पाइप पर प्रत्येक 3 मीटर पर आई०एस०आई० मार्क छपा होना चाहिये ।

(2) कृषकों द्वारा क्रय किये गये पी०वी०सी० पाइप इत्यादि का भुगतान करने से पूर्व संबन्धित सहायक अभियंता (ल०सि०) एवं अधिशासी अभियंता (ल०सि०) यह पुष्टि करेंगे कि पाइप की आपूर्ति करने वाला डीलर/उपडीलर आई०एस०आई० लाइसेन्सधारी निर्माता फर्म का अधिकृत डीलर है कि नहीं और उसके द्वारा फर्म से किस बैच नम्बर का आई०एस०आई० मार्क पी०वी०सी० पाइप एवं फिटिंग्स कितनी मात्रा में क्रय की गई है । उक्त हेतु संबन्धित डीलर से आवश्यक अभिलेख प्राप्त किये जा सकते हैं और शंका होने की दशा में संबन्धित निर्माता फर्म से पुष्टि भी कराई जा सकती है । इसके अतिरिक्त यदि कोई डीलर/उपडीलर दोषी पाया जाता है तो उसे ब्लैक लिस्ट करने हेतु अधिशासी अभियंता अधिकृत होंगे ।

(3) उपरोक्त संदर्भ में यह निर्देश भी दिये जाते हैं कि कुल लक्ष्यों के एक प्रतिशत मामलों में संबन्धित सहायक अभियंता (ल०सि०) अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान यह भी देखेंगे कि कृषक द्वारा उपयोग किये जा रहे पी०वी०सी० पाइप एवं फिटिंग्स पर निर्धारित आई०एस०आई० मार्क है कि नहीं । अधिशासी अभियंता (ल०सि०) भी कुल लक्ष्यों के 0.5 प्रतिशत मामलों में तथा अधीक्षण अभियंता (ल०सि०) 0.25 प्रतिशत मामलों में उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे । उक्त हेतु यह भी ध्यान रखा जायेगा कि विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा निरीक्षित किये मामले पृथक-पृथक होंगे ।

- 3 -

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और यदि किसी भी स्तर पर कोई शिथिलता अथवा कोई अनियमितता प्रकाश में आती है तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय ।

भवदीय,

(अजय कुमार जोशी)
सचिव ।

संख्या:5633 (1)/62-2-2000, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. कृषि उत्पादन आयुक्त शासन के समस्त सचिव ।
2. प्रमुख सचिव/सचिव वित्त/नियोजन/राजस्व/संस्थागत वित्त ।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त शासन के समस्त विभागाध्यक्ष ।
4. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन ।
5. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
6. राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

आज्ञा से

(अजय कुमार जोशी)
सचिव ।

संख्या:5633 (1)/62-2-2000, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष राज्य विद्युत परिषद उ0प्र0, लखनऊ ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सहकारी ग्राम्य विकास बैंक, लखनऊ ।
3. निदेशक भूमि जल संरक्षण/राज्य ग्राम विकास संस्थान, उ0प्र0 ।
4. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उ0प्र0 ।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता (लघु सि0), उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
7. अधिशासी अभियन्ता (लघु सि0) आपूर्ति खण्ड, लखनऊ ।
8. गार्ड फाइल अनुभाग- 2

आज्ञा से

17/11/2000

(हरपाल सिंह)
विशेष सचिव ।

संख्या: 2270/54-2-1299(27)/88

संलग्नक : 13

प्रेषक,

श्री विनोद मल्होत्रा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

क्षेत्रीय विकास अनुभाग-2   लखनऊ: दिनांक: 14 मई, 1992

विषय:- विशेष खाद्यान्न उत्पादन योजनान्तर्गत [illegible] निःशुल्क बोरिंग हेतु प्राइवेट बोरिंग सेट किराये पर लिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 3089/54-2-1299(27)/88, दिनांक 21-5-91 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विगत वर्ष 1991-92 की भांति वर्तमान वर्ष 1992-93 के अन्तर्गत निःशुल्क बोरिंग के वृहद लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु प्राइवेट बोरिंग सेट वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी किराये पर लिये जाने की सहमति प्रदान की जाती है। यह आदेश 31-3-93 तक प्रभावी रहेंगे एवं शेष शर्तें शासनादेश सं0 7664/54-2/86, दिनांक 20-12-86 के अनुसार ही रहेंगी।

भवदीय,

(विनोद मल्होत्रा)
सचिव।

संख्या: 2270(1)/54-2-1299(27)/88, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य/जिला विकास अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (विकास)/परियोजना, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(के0 के0 चोपड़ा)
संयुक्त सचिव।

P.T.O.

संलग्नक:14

संख्या: 4045/62-2-2004-

प्रेषक,

अजय कुमार जोशी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।
3-मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ल0सिं0 एवं ग्रा0 अभि0 सेवा अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 13 अक्टूबर,04

विषय - कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु लघु/सीमान्त कृषकों की सहायता योजनान्तर्गत निःशुल्क बोरिंग योजना में नगद पम्पसेट क्रय करने में अनुदान दिये जाने की प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(ल0सिं0) के पत्र संख्या : जी-509/ल0सिं0/कार्य/वर्कप्लान, दिनांक 08-10-2004 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क बोरिंग योजना में पूर्ण की गई बोरिंग पर पम्पसेट स्थापित करने हेतु, नाबार्ड द्वारा निर्धारित पम्पसेट की इकाई लागत के आधार पर सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु/सीमान्त कृषकों को क्रमशः इकाई लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 2800/--, 33-1/3 प्रतिशत, अधिकतम रू0 3750/- एवं 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 5650/- का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था शासनादेश संख्या 2896/38-6-94 दिनांक 10-6-1994 में की गई है। जिसमें कृषकों को पम्पसेट में अनुदान की सुविधा बैंकों से ऋण लेने पर ही अनुमन्य की गई थी। अब शासनादेश सं0 1067/62-2-2003-2/2(6)/2000 दिनांक 13 मार्च,03 तथा शासनादेश संख्या 2486/62-2-2004-2/2(6)/2004 दिनांक 30 जुलाई,2004 द्वारा योजना में सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु/सीमान्त कृषकों को बैंक से ऋण लेने की उक्त बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अतएव अब सामान्य

जाति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु/सीमान्त कृषक जो केवल अपने साधन से पम्पसेट को नगद लेना चाहते हैं उन्हें पम्पसेट के क्रय में अनुदान की सुविधा निर्धारित निम्न प्रक्रिया के अधीन उपलब्ध कराये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- पम्पसेट डीलर का चयन एवं पंजीकरण

(1) विद्युत/डीजल पम्पसेट के निर्माता जिन्हें आई0एस0आई0 लाइसेंस प्राप्त है, के अधिकृत विक्रेताओं का पंजीकरण सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार के पश्चात किया जायेगा। पंजीकरण से पूर्व आई0एस0आई0 लाइसेंस की वैधता की अवधि सुनिश्चित कर ली जाये तथा उसी अवधि तक पंजीकरण किया जाये, आई0एस0आई0 लाइसेंस की वैधता की अवधि बढ़ाये जाने पर तदानुसार पंजीकरण की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

(2) निर्माता द्वारा दिये गये अधिकृत विक्रेता के प्रमाण पत्र की पुष्टि भी कर ली जाये।

(3) पंजीकरण हेतु निर्माता फर्मों के अधिकृत डीलर्स से मु0 रू0 25000/- की जमानत धनराशि जमा करायी जाये, जिससे कि पम्पसेट की गारण्टी अवधि में किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति विक्रेता द्वारा न किये जाने पर इस धनराशि से प्रतिपूर्ति की जा सके।

(4) पंजीकृत डीलरों की सूची अधिशासी अभियन्ता द्वारा समय-समय पर जनपद के समस्त विकास खण्डों को जारी की जायेगी तथा विभागीय कार्यालयों एवं विकास खण्डों के कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कराई जायेगी।

(5) पंजीकृत विक्रेताओं से कृषक अपनी इच्छानुसार व साइट की परिस्थिति के अनुसार आवश्यक अश्वशक्ति के आई0एस0आई0 मार्क विद्युत/डीजल पम्पसेट क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगा, परन्तु विद्युत पम्पसेट 3 अश्वशक्ति से कम तथा डीजल पम्पसेट 5 अश्वशक्ति से कम और 10 अश्वशक्ति से अधिक विद्युत/डीजल पम्पसेट के क्रय पर अनुदान देय नहीं होगा।

2- पम्पसेट क्रय हेतु अनुदान स्वीकृत करने की प्रक्रिया -

(1) लाभार्थियों द्वारा लघु सिंचाई विभाग में पंजीकृत डीलरों से सीधे नकद विद्युत/डीजल पम्पसेट आई0एस0आई0 मार्क क्रय करने की व्यवस्था स्वयं की जायेगी।

लाभार्थी कृषक विद्युत/डीजल पम्पसेट नगद क्रय हेतु अनुदान का प्रार्थना पत्र सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को मुख्य अभियन्ता

द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर प्रस्तुत करेगा जिसे सम्बन्धित अवर अभियन्ता(ल0सिं0) एवं खण्ड विकास अधिकारी अपनी संस्तुति सहित सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को भेजेंगे। तद्नुसार सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई क्रय हेतु स्वीकृति प्रदान करेंगे तथा इस प्रकार प्राप्त प्रार्थना पत्रों का पंजीकरण मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित रजिस्टर पर किया जायेगा।

(2) उक्त के उपरान्त अधिकृत डीलर से विद्युत/डीजल पम्पसेट कृषक द्वारा क्रय कर लिया जायेगा। डीलर द्वारा कार्य स्थल पर पम्पसेट स्थापित कर संतोषजनक ट्रायल दिया जायेगा।

(3) विद्युत/डीजल पम्पसेट की कार्य स्थल पर स्थापना और संतोषजनक ट्रायल का सत्यापन सम्बन्धित अवर अभियन्ता द्वारा किया जायेगा और सत्यापन रिपोर्ट, भुगतान की संस्तुति मुख्य अभियन्ता द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर, विद्युत/डीजल पम्पसेट की टेस्टिंग रिपोर्ट मूल में तथा निर्माता फर्म से पम्पसेट प्राप्त करने का प्रमाण पत्र खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई को प्रेषित करेंगे।

पम्पसेटों पर देय अनुदान हेतु निर्धारित इकाई लागत इस व्यवस्था में रू0 11,300/- होगी। इस धनराशि का 25 प्रतिशत अधिकतम रू0 2800/- रू0 लघु कृषक(सामान्य जाति) को 33-1/3 प्रतिशत अधिकतम रू0 3750/- रू0 सीमान्त कृषक (सामान्य जाति) को तथा 50 प्रतिशत अधिकतम रू0 5650/- रू0 अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थियों को अनुदान देय होगा।

(4) अधिशासी अभियन्ता द्वारा उपरोक्त संस्तुति पर वास्तविक अनुमन्य अनुदान का चेक सम्बन्धित कृषक को जारी कर दिया जायेगा अथवा कृषक के लिखित अनुरोध पर डीलर के नाम चेक जारी कर दिया जायेगा।

(5) कृषक अथवा फर्म को अग्रिम अनुदान अनुमन्य नहीं होगा। पम्पसेट स्थापना एवं उसके सफल ट्रायल व सत्यापन के उपरान्त ही अनुदान देय होगा। पुराने विद्युत/डीजल चालित पम्पसेट के क्रय पर किसी प्रकार का कोई अनुदान देय नहीं होगा।

(6) कुछ कृषक ऐसे भी हो सकते हैं जो बोरिंग कराने के कुछ समय पश्चात पम्पसेट की आवश्यकता अनुभव कर मांग करेंगे। ऐसे कृषकों को यह छूट होगी कि वह उसी वित्तीय वर्ष में पम्पसेट क्रय कर अनुमन्य अनुदान का लाभ प्राप्त कर लें।

(7) रूपपत्रों एवं पंजीकाओं का निर्धारण मुख्य अभियन्ता द्वारा पृथक से किया जायेगा।

3- भौतिक सत्यापन

कार्यक्रम की सफलता के लिये गुणवत्ता का उच्च स्तर बनाये रखा जाना आवश्यक होगा। कार्यक्रम की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये पम्पसेट का विभिन्न स्तरों से निरीक्षण/सत्यापन आवश्यक होगा। विभागीय स्तर पर अवर अभियन्ता द्वारा शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित किया जायेगा। सहायक अभियन्ता(ल0सिं0), अधिशासी अभियन्ता(ल0सिं0) व अधीक्षण अभियन्ता(ल0सिं0) द्वारा अपने-अपने कार्यक्षेत्र में प्रतिमाह कम से कम इस प्रकिया के अन्तर्गत स्थापित 10 पम्पसेटों का सत्यापन किया जायेगा।

इस व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार क्षेत्र में किया जाये।

भवदीय,

(अजय कुमार जोशी)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 4045 (1)/62-2-2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित -

1- स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2- कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
3- प्रमुख सचिव /सचिव वित्त/नियोजन/राजस्व, उ0प्र0 शासन।
4- कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त विभागाध्यक्ष।
5- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
6- स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(देव प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या : 4045 (1)/62-2-2004, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- निदेशक, लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग, बी0के0टी0, लखनऊ।
2- समस्त संयुक्त/उपविकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. अधीक्षण अभियन्ता/सिविल विशेषज्ञ, लघु सिंचाई प्रकोष्ठ, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता(न0सि0) आपूर्ति खण्ड, लखनऊ।
8. गार्ड फाईल लघु सिंचाई एवं ग्रा0अभि0 सेवा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(शिव प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई खण्ड,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 675/ल.सिं./भ.आ./सामान्य/2000-01 दिनांकः 11 जून, 2001

विषय – निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत कृषक द्वारा क्रय किये गये पी.वी.सी. पाइप में से नमूना प्राप्त करने की प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

वर्ष 2000-01 हेतु निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति /जनजाति के कृषकों को बोरिंग हेतु जारी स्ट्रेटजो में गुणवत्ता नियंत्रण एवं भौतिक सत्यापन के अन्तर्गत पी.वी.सी. पाइप के नमूना लिये जाने का प्राविधान है। उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि एक सैम्पुल टेस्ट के लिए 02 टुकडे प्रत्येक 1.10 मीटर लम्बाई का पाइप चाहिए। एक टेस्टिंग सेट में दोनो पाइप के टुकड़े एक ही डीलर के तथा एक ही पाइप निर्माता का होना चाहिए, परन्तु दोनो टुकड़े एक ही पाइप से न काटकर अलग-अलग पाइप से काटा जाय। उपरोक्त के अतिरिक्त पाइप का नमूना लेते समय निम्न प्रक्रिया का भी पालन किया जाय :-

(1) पी.वी.सी. पाइप का सैम्पलिंग केवल उन्हीं पाइपों में से किया जायेगा जो कि कृषक द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित डीलर से वर्ष 2000-01 में नियमानुसार प्राप्त किया गया हो। यह सैम्पलिंग यथास्थिति बोरिंग के बाद या बोरिंग से पहले लिया जायेगा। सैम्पलिंग का टुकडा कृषक के पाइप के एक किनारे से काटा जायेगा जिस पर आई.एस.आई. मोहर एवं बैच नम्बर / लाइसेंस नम्बर/सी.एस.एल.नं0 नियमानुसार पडा हो तथा निर्माता की मोहर/ ट्रेड मार्क अंकित हो।

(2) प्रत्येक लिये गये नमूने पाइप पर परफारमेन्स मार्कर पेन से निम्न अधिकारी/ डीलरों /व्यक्ति से हस्ताक्षर होने, जिनके हस्ताक्षर के नीचे नाम, पदनाम एवं पता अंकित करना होगा।

1- अधिशासी अभियन्ता (ल.सिं.), सहायक अभियन्ता (ल.सिं.) एवं अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई।

2- डीलर/ कृषक लाभार्थी।

यथा सम्भव डीलर की उपस्थिति में भी नमूने (सैम्पुल) लिये जायें। यदि मौके पर उपस्थित डीलर हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उस स्थिति में भी नमूना लिया जायेगा, परन्तु सीपेट द्वारा सकारात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही सम्बन्धित डीलर से निःशुल्क बोरिंग हेतु भविष्य में पाइप लिया जायेगा।

(3) नमूने के एक सेट से सम्बन्धित दोनों पाइप टाट/झाइन, फर्टीलाइजर अथवा सीमेन्ट प्लास्टिक बैग की खाली बोरी से लपेट कर एक में बांध दिया जाये। उपरोक्तानुसार लिए गये नमूना सेटों का विवरण संलग्न रूप पत्र-1 पर विशेष पत्रवाहक से आपूर्ति खण्ड, लघु सिंचाई विभाग, लखनऊ को प्रस्तुत किया जाय।

बोरिंग कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उसकी परिकल्पना प्रस्तुत सामग्री की विशिष्टियों पूर्व की भांति होगी।

भवदीय
ह0-

(इं0 आर. वाई. सिंह कुशवाहा)
मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

पत्रांक 675/ ल.सिं./भ.अ./सामान्य/2000-01 दिनांकित।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त, को इस आशय से प्रेषित की कृपया उपरोक्तानुसार पालन कराना सुनिश्चित करें।
2. सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0-

(इं0 आर. वाई. सिंह कुशवाहा)
मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0,
लखनऊ।

नि:शुल्क बोरिंग में प्रयुक्त पी०वी०सी० पाइप के नमूना का विवरण

नमूना क्रमांक	डीलर का नाम एवं पता	कृषक का नाम एवं पता	पाइप निर्माता का विवरण			नमूना प्राप्त करने की तिथि	नमूना प्राप्त [illegible]	[illegible] न लिया गया
			फर्म का नाम एवं पता	बी०आई० एस० सं०	वैधता अवधि			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर

[illegible] अधिकारी [illegible]

संलग्नक : 16

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता
लघु सिंचाई विभाग उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त अधिशासी अभियन्ता
लघु सिंचाई खण्ड उ0प्र0।
(ललितपुर खण्ड को छोड़कर)

पत्रांक/3886/ल0सि0/भ0आ0/पी0वी0सी0-गुणवत्ता/2003-04 दिनांक मार्च 06, 2004

विषय:- नि:शुल्क बोरिंग योजना के अंतर्गत कृषकों द्वारा क्रय किए जा रहे पी0वी0सी0 पाइपों के सैम्पल लेकर, सीपेट, लखनऊ से टेस्टिंग कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र सं0 201/ल0सि0/भ0आ0/पी0वी0सी0 गुणवत्ता/2002-03, दिनांक 22-7-2002 एवं पत्र सं0 664/ल0सि0/भ0आ0/पी0वी0सी0 गुणवत्ता/2002-03, दिनांक 27-02-03 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा शासनादेश सं0 [illegible]-2/2(428)/98, दिनांक 06-6-2002 के [illegible] के बिन्दु 11.6 का उल्लेख करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि [illegible] बोरिंग योजना के अंतर्गत कृषक द्वारा क्रय किए जा रहे पी0वी0सी0 पाइप में से नमूना प्राप्त करने की प्रक्रिया का निर्धारण के अनुसार [illegible] उपलब्ध कराया जायेगा [illegible] क्रय पत्र पर भण्डार आपूर्ति खण्ड, कार्यालय में [illegible] कृषक द्वारा क्रय किए जा रहे [illegible] किया गया था कि पी0वी0सी0 पाइप का सैम्पल [illegible] प्रति सैम्पल (एक सैम्पल 1.10 मी0 के 2 पी0वी0सी0 पाइप से ही लिया जायेगा [illegible] प्रति सैम्पल [illegible] रु0 2800/- [illegible] टुकड़ों में एक ही दाम के [illegible] हेतु सीपेट द्वारा निर्धारित [illegible] रु0 2800/- [illegible] "सीपेट, लखनऊ" अथवा "CIPET, LUCKNOW" के पक्ष में देय होते हुए [illegible] का ड्राफ्ट [illegible] एवं क्रय पत्र पर पूर्ण विवरण के साथ-साथ भेजना अनिवार्य होगा। किन्तु खेद का विषय है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-04 में किसी भी खण्ड के किसी भी जनपद का [illegible] से टेस्टिंग कराने हेतु प्राप्त नहीं पी0वी0सी0 पाइप का सैम्पल एवं ड्राफ्ट के सीपेट, लखनऊ से टेस्टिंग कराने हेतु प्राप्त नहीं हुआ है।

अत: उपरोक्त के संबंध में आपसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में अनुरोध है कि [illegible] प्रत्येक खण्ड के अंतर्गत जनपदों से कम से कम एक सैम्पल (1.10 मी0 के 2 टुकड़ों में [illegible] प्राप्त करने की प्रक्रिया [illegible] रु0 2800/- रु0 के ड्राफ्ट के साथ [illegible] नमूना प्राप्त करने की प्रक्रिया [illegible] पत्र वाहक द्वारा किसी कार्य दिवस में [illegible] लखनऊ के पक्ष में देय होगा। [illegible] पत्र वाहक द्वारा किसी कार्य दिवस में

संलग्नक : 17

प्रेषक,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1- समस्त अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग।
2- समस्त अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग।
3- समस्त सहायक अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश।

प0सं0 609/ल0सिं0/कार्य0/वर्क प्लान/2002 दिनांक लखनऊ अप्रैल 30 ,2002

विषय:- नि:शुल्क बोरिंग के अन्तर्गत बोरिंग की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश सं0 5257(1)/62-2-2001-2/2(27)/99 दिनांक 16 दिसम्बर 2001 के क्रम में शासनादेश में उल्लिखित बिन्दु 2,3,8,9 एवं 11 के सम्बन्ध में आवश्यक अतिरिक्त निर्देश प्रसारित किये जा रहे हैं। तदनुसार शासनादेश के परिपालन के साथ ही इनका पालन भी सुनिश्चित करें :-

बिन्दु 02:- ग्रामवार लघु सिंचाई कार्यों के रजिस्टर का प्रारूप निर्धारित कर संलग्न किया जा रहा है तथा इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जा रहा है कि जहाँ बोरिंग टेक्नीशियन/सहायक बोरिंग टेक्नीशियन नहीं हैं। या आवश्यकता से कम हैं वहाँ पर यह कार्य बहुउद्देशीय कर्मी से कराया जायेगा तथा इन बहुउद्देशीय कर्मी द्वारा कराये गये कार्यों का सुपरवीजन विकास खण्ड के अवर अभियन्ता ,लघु सिंचाई द्वारा किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि अभी तृतीय गणना के कार्य में बहुउद्देशीय कर्मचारी लगाये जाने वाले हैं जो पूर्ण ग्राम पंचायत की संगणना का कार्य करेंगे तथा संगणना पुस्तिका पर अंकन करेंगे। संगणना से प्राप्त आंकड़ों/विवरण के आधार पर ग्रामवार रजिस्टर भी पूर्ण किया जा सकता है।

बिन्दु 03:- बोरिंग स्थल, पम्प हाउस/सम्प हाउस की दीवार पर लगाई जाने वाली पट्टी का साइज (18" x 12") एवं उस पर अंकित की जाने वाली सूचना निम्नवत रखी जायेगी इस कार्य पर होने वाले व्यय की सीमा का निर्धारण अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त अपने स्तर पर करके शासनादेश में निर्दिष्ट व्यवस्था के अनुसार उसका अनुमोदन मुख्य अभियन्ता स्तर से प्राप्त करें।

क्रमश:------ 2 पर

18"

12"

1- लाभार्थी का नाम ....
2- बोरिंग प्रारम्भ करने की तिथि ....
3- बोरिंग पूर्ण होने की तिथि ....
4- बोरिंग की साइज एवं गहराई ....
5- बोरिंग की लागत ....
6- योजना का नाम ....
7- कार्यदायी संस्था ....
8- बोरिंग टैक्नीशियन का नाम ....
9- अवर अभियन्ता का नाम ....

बिन्दु 08:- जहाँ तक समूह गठन का प्रश्न है शासनादेश की मंशा के अनुरूप अधीक्षण अभियन्ता अपने-अपने वृत्त के अन्तर्गत आने वाले जनपद/विकास खण्ड की भौगोलिक भूगर्भ-जलीय परिस्थितियों के अनुसार ऐसी सिंचाई योजनाओं के लिये समूह का प्रस्ताव करायें जो तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त होने के साथ ही सिंचाई के अनुरूपता उद्देश्य की पूर्ति हो सके। इस कार्य हेतु 0.5 हे0 से कम जोत के कम से कम04 कृषक मिलकर संयुक्त प्रोजेक्ट भी लगा सकते हैं।

बिन्दु 09:- कृषक द्वारा स्थापित किये गये पम्पसेट के सत्यापन की सूचना हेतु निम्न रूप पत्र निर्धारित किया जाता है।

क्र0सं0	कृषक का नाम	पिता का नाम	ग्राम	विकास खण्ड	ऋण स्वीकृत आदेश संख्या एवं दिनांक	बोरिंग पूर्ण होने की तिथि	पम्पसेट स्थापित होने का दिनांक
1	2	3.	4	5	6	7	8

सत्यापन की तिथि	स्थापित पम्पसेट का विवरण				अन्य विवरण
	मेक	अश्व शक्ति	आर0पी0एम0	क्रमांक	
9	10	11	12	13	14

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त रिपोर्ट सही है।

हस्ताक्षर:- बहुउद्देशीय कर्मी/बी0टी0

ग्राम प्रधान   अध्यक्ष, जल प्रबन्धन समिति

प्रति० हस्ताक्षर खण्ड विकास अधिकारी

क्रमशः---- 3 पर

-3-

बिन्दु 11:- बोरिंग सेट के किराये की दरों के निर्धारण के लिये अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई वृत्त शासनादेश सं0 ए-2-3407/इस-05 दिनांक 09-12-1905 द्वारा प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(आर0 एस0 सुरेल)
मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0 609/ल0सि0/कार्य0/वर्क प्लान/2002 दिनांकित।

प्रतिलिपि:-

1- विशेष सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उत्तर प्रदेश शासन को शासनादेश संख्या 5257-1/62-2-2001-2/2(27)/99 दिनांक 16-12-2001 के सन्दर्भ में परिपालन के उपरान्त सूचनार्थ।

2- निदेशक, लघु सिंचाई एवं प्रशिक्षण संस्थान, लक्ष्मी का तालाब, लखनऊ।

3- अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रकोष्ठ, लखनऊ।

4- गार्ड फाइल।

(आर0 एस0 सुरेल)
मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश।

राजेश/

रूप पत्र - 1

ग्रामवार लघु सिंचाई कार्यों का रजिस्टर

ग्राम का नाम :---------------- विकास खण्ड ---------------- जनपद ---------

क्र0 सं0	ग्राम/मजरे का नाम अगर कोई हो	लघु सिंचाई साधन का नाम	मालिक का नाम पिता/पति के नाम सहित	खसरा नम्बर जिसमें साधन बना है	योजना का नाम	निर्माण का वर्ष	चालू हालत है/नहीं	साधन से शुद्ध सिंचित क्षेत्र एकड़ में	साधन से सकल सिंचित क्षेत्र एकड़ में	जमीन की सतह से पानी की सतह की गहराई (मीटर)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

जमीन की सतह से बोरिंग की गहराई (मीटर)	बोरिंग की किस्म व साइज: डेलिवरी (इंच)	बोरिंग की किस्म व साइज: जाली (इंच)	पम्प की बनावट व साइज	इंजन/मोटर की हार्स पावर	स्थापना का विवरण: पक्का पम्प हाउस	स्थापना का विवरण: कच्चे गड्ढे में	अन्य विवरण
12	13	14	15	16	17	18	19

नोट:- 1 - प्रत्येक मजरे व मुख्य ग्राम का विवरण अलग-अलग पृष्ठों पर होगा।

2 - प्रत्येक कार्य हेतु अलग-अलग पृष्ठ रखे जायेंगे।

3 - कार्यों के नाम में सिंचाई कूप, बोरिंग पम्पसेट, उथला नलकूप, गहरा नलकूप, आर्टीजन कूप आदि आते हैं। इसके अतिरिक्त पोखर, बन्धी तालाब आदि का विवरण भी सामूहिक कार्यों के रूप में अंकित होगा।

4 - जिन कृषकों पर सिंचाई का कोई साधन नहीं है। उनकी सूची भी रजिस्टर में रखी जायेगी।